अध्याय-II : अनुपालन लेखापरीक्षा

वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन और लेखापरीक्षा के परिणाम

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां जो कि केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत देय है, सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित किया जाता है। परिवहन आयुक्त-सह-शासन सचिव राजस्थान सरकार परिवहन विभाग (विभाग) के प्रमुख है तथा इनकी सहायता छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और चार उप परिवहन आयुक्त द्वारा की जाती है। सम्पूर्ण राज्य को 12 क्षेत्रों[1] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन-सह-पदेन के रूप में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी होते है। इसके अतिरिक्त, 42 परिवहन जिले[2] हैं, जिनके प्रमुख जिला परिवहन अधिकारी होते है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियों के अधीन 52 पंजीकरण कार्यालय[3] हैं और मार्च 2021 के अंत तक यहाँ 2.02 करोड वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 12 इकाइयों[4] को नमूना जांच के लिए चुना गया था जिनमें 53.40 लाख वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 52,802 वाहनों को नमूना जांच के लिए चयनित किया गया था। संवीक्षा के दौरान कई प्रकरण कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिंग शुल्क के कम भुगतान के पाये गए। समान प्रकृति की त्रुटियाँ पिछले वर्षों में भी बताई गयी थी परन्तु इन्हें सुधारा नहीं गया तथा लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं की गयी थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं और अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं। इसके अलावा, परिवहन विभाग के द्वारा उपयोग मे लिये जा रहे दो एप्लीकेशनों जो कि वाहन और सारथी हैं, की भी लेखापरीक्षा की गयी थी। वर्ष के दौरान, विभाग ने 7,655 प्रकरणों में ₹ 16.03 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया। इनमें से, 7,375 प्रकरण जिनमे राशि ₹ 15.08 करोड़ सम्मिलित थी वर्ष 2020-21 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में और शेष को

[1] क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

[2] परिवहन जिलेः आबू रोड, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, डीडवाना, धोलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, श्री गंगानगर, सुजानगढ़, टोंक, रतनपुर (टीसीसी), शाहजहाँपुर (टीसीसी) और क्षेत्रीय स्तर पर बारह परिवहन जिले।

[3] 52 पंजीकरण कार्यालयों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले 12 क्षेत्र और जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले 40 परिवहन जिले शामिल हैं। जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले दो परिवहन जिलों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां वाहन पंजीकृत नहीं थे। ये रतनपुर और शाहजहाँपुर में सीमा पर कर संग्रहण से संबंधित कार्य में शामिल हैं।

[4] कोविड के कारण जयपुर के नजदीक की इकाईयों का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

पूर्व के वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 276 प्रकरणों में ₹ 1.03 करोड़ की वसूली की गई, जिसमें से राशि ₹ 0.46 करोड़ के 75 प्रकरण 2020-21 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे। एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा "वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा" और कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण राशि ₹ 7.71 करोड़ पर चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

2.2 वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों को राजस्थान में परिवहन विभाग के संचालन में सुधार के लिए लाया गया था। अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक के डाटा की लेखापरीक्षा में डाटा की शुद्धता और सॉफ्टवेयर मैपिंग की समस्याएं पाई गयी। इनमें डाटा प्रविष्टियों की त्रुटियाँ थीं, जैसे की पंजीकरण की गलत तिथियाँ और वाहन का गलत कुल सकल भार। वाहनों को डुप्लीकेट चैसिस नंबर और इंजन नंबरों से पंजीकृत किया गया था, जो कि अप्रभावी जांच को इंगित करता है। बिजनेस नियमों को सही रूप से समन्वित नहीं किया गया था, जिससे कारण शुल्क का आंकलन कम हुआ। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की वैधता में विचलन था। अनुशंसित मॉड्यूल जैसे 'सीएनजी वाहन सेवा' और 'पीयूसीसी' का उपयोग नहीं किया जा रहा था। कम उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। परिवहन विभाग ने लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकारते हुए, 'वाहन' और 'सारथी' एप्लीकेशनों में डाटा की शुद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

2.2.1 परिचय

परिवहन विभाग के कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किए गये हैं। विभाग का प्राथमिक कर्तव्य राज्य में मोटर वाहन कानूनों के प्रावधानों का प्रवर्तन कराना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने दो सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन मानकीकृत एवं लागू किये:

- वाहन-वाहन पंजीकरण सेवा और
- सारथी- ड्राइविंग लाइसेंस सेवा।

सॉफ्टवेयर लागू करने के मुख्य उद्देश्य थे:

- अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से संबंधित दस्तावेजों के लिए समान मानकों को स्थापित करना,
- शुद्धता और समय पर सूचना की उपलब्धता,
- तेज, बेहतर और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त करना, और
- मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उचित कार्यान्वयन।

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से सारथी और वाहन सॉफ्टवेयर पैकेज को लागू किया गया था।

वाहन – यह एक लचीली और व्यापक प्रणाली है जो कि वाहन पंजीकरण, फिटनेस, करों, परमिट और प्रवर्तन की गतिविधियों का ध्यान रखती है। इस एप्लीकेशन द्वारा वाहनों से संबंधित सभी संव्यवहारों का अभिग्रहण किया जाता है।

सारथी – यह आमजन को ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बन्धित संव्यवहारों को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आवेदन करने एवं सम्बंधित आगामी प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों से संबंधित सभी संव्यवहारों का अभिग्रहण किया जाता है।

पूर्व में जुलाई से अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण' की गयी थी जिसमें "वाहन, सारथी और नेशनल परमिट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर" के क्रियान्वयन एवं उन पर नियंत्रण की जांच सम्मिलित थी। परिवहन विभाग के चयनित 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अगस्त 2011 तक के डाटा का विश्लेषण एमएस-एक्सेस और एमएस-एक्सेल एप्लीकेशन का उपयोग करके किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा का ध्येय नए सिस्टम की प्लानिंग और क्रियान्वयन, लीगेसी डाटा का अंतरण, डाटा की शुद्धता, डाटा का बचाव और सुरक्षा, बिजनेस की निरंतरता और आपदा में बहाली और हार्डवेयर संपदा का प्रबंधन आदि था। निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित किया गया था। जन लेखा समिति ने इस पर चर्चा की और सरकार की अनुपालना को 16 अगस्त 2018 को स्वीकार किया। वर्तमान लेखापरीक्षा में उन मुद्दों को देखा गया है जिन्हें पूर्व की लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया था।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- अधिनियमों/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डाटा मैपिंग का कार्य समय पर किया गया; और
- एप्लीकेशनों के लिए परिकल्पित समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के डाटा का उचित उपयोग किया गया था।

2.2.3 कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा कार्यालय परिवहन आयुक्त में की गयी थी। अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सभी वाहनों (दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर) के वाहन और सारथी के डम्प डाटा (10,13,535 प्रकरण) का विश्लेषण आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों को, चार इकाइयों क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (दौसा), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (कोटा), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (जयपुर) और जिला परिवहन अधिकारी

(बालोतरा) से प्रमाणित किया गया। परिणामों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2021 और दिसम्बर 2023)। सरकार का उत्तर जनवरी 2022 और दिसम्बर 2023 में प्राप्त हुआ, जिसे उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोत से अपनाये गयेः

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 तथा भारत सरकार एवं परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, दिशा-निर्देश।

2.2.5 क्रियाकलापों एवं राजस्व का निष्पादन

वाहनों का पंजीयन एवं इन के संचालन के लिए लाइसेंसों को जारी करना विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग में पंजीकृत वाहनों, जारी लाइसेंसों और कुल एकत्रित राजस्व का विवरण **चार्ट-1** में दर्शाया गया हैः

चार्ट-1ः परिवहन विभाग का कार्य निष्पादन

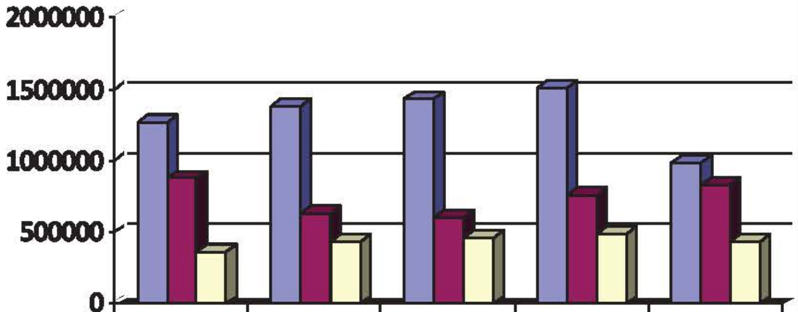

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंजीकृत वाहन	1272986	1384364	1432719	1512334	987011
जारी लाइसेंस	878792	625893	604922	754798	828767
राजस्व प्राप्ति (₹ लाखों में)	362283	436306	457632	495085	436815

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकीय सार (2020-21)।

कुल राजस्व संग्रह और पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, परन्तु कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान वाहनों के पंजीकरण और राजस्व संग्रहण में भारी गिरावट आई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या अधिनियमों/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डाटा मैपिंग का कार्य समय पर किया गया था।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत, यह पाया गया कि डाटा मैपिंग उचित ढंग से नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप क्रय की तारीखों, कुल वाहन भार, बैठक क्षमता, डुप्लीकेट इंजन नम्बर, डुप्लीकेट चेसिस नम्बर, और वाहनों की गलत श्रेणी में प्रविष्टयां थीं। इनके अलावा, बिजनेस नियम भी सॉफ़्टवेयर के साथ मैप नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क और हाइपोथिकेशन शुल्क आदि कम प्राप्त हुए। अनुवर्ती अनुच्छेदों में इन आक्षेपों की विस्तृत चर्चा की गई है।

2.2.6 वाहन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियां

वाहन के डम्प डाटा के विश्लेषण में वाहनों के इनपुट किये गए विवरणों से संबंधित अनियमितताओ की एक श्रृंखला ध्यान में आयी। इन सभी विसंगतियों के कारण वाहन एप्लीकेशन में वाहनों की गलत सूचनायें दिखलाई जा रही थी। तथापि, इससे राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य परिणाम नीचे दिये गए हैः

- 119 मामलों में, वाहनों के पंजीकरण की दिनांक को वाहनों के क्रय की दिनांक से पहले दर्ज किया गया था। विशेष रूप से, विक्रय इनवॉइस के अनुसार वाहनों का पंजीकरण उनके वास्तिवक क्रय की दिनांक या डिलीवरी डेट से 1 से 74 दिन पहले दर्ज हुआ था।
- यह देखा गया कि 15,584 वाहनों का सकल कुल वाहन भार का विवरण वाहन में त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया था। सिस्टम के द्वारा 15,570 वाहनों का सकल कुल वाहन भार 0 किलोग्राम से 03 किलोग्राम और 14 वाहनों का 1,00,000 किलोग्राम से अधिक स्वीकार किया गया था।
- यह पाया गया कि 1,219 वाहनों में, वाहन के प्रकार के आधार पर बैठक क्षमता त्रुटिपूर्ण दर्ज की गयी थी। इन में से 120 भार वाहनों की बैठक क्षमता 10 से 100 यात्रियों की सीमा में दर्शायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, सात कारों को 10 से 50 यात्री तक की बैठक क्षमताओं के साथ दर्शाया गया था। विशेष रूप से, 1,018 यात्री वाहन, जैसे कि बसें जो कि 10 से अधिक यात्री ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, उन्हें केवल एक से तीन यात्रियों की बैठक क्षमता के साथ ग़लत दर्शाया गया था।
- कुल 2,273 भारी माल वाहन (एचजीवी)/भारी यात्री वाहन (एचपीवी)/मध्यम माल वाहन (एमजीवी)/मध्यम यात्री वाहन (एमपीवी) को हल्के माल वाहन (एलजीवी)/हल्के यात्री वाहन (एलपीवी) के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार, 3,123 हल्के माल वाहन/ हल्के यात्री वाहनों को भारी माल वाहन/भारी यात्री वाहन/मध्यम माल वाहन/मध्यम यात्री वाहन के रूप में दिखाया गया था।

सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (दिसम्बर 2023) कि त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा इन मामलों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि अनियमितताओं को सुधारा जाना बकाया था। (जनवरी 2024)।

सिफारिश 1 : विभाग को डाटा एंट्री की त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहे।

2.2.7 डुप्लीकेट इंजन नंबर/चेसिस नंबर वाले वाहनों का पंजीकरण

विक्रय प्रमाण पत्र यानी फॉर्म-21, वाहन पंजीकरण के समय एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसमें चेसिस नम्बर (वीआईएनः- वाहन पहचान संख्या) और इंजन नम्बर सम्मिलित होते है जो कि यूनिक कोड होते हैं, जो वाहन डीलर या निर्माता द्वारा प्रत्येक वाहन को दिए जाते हैं।

वाहन के डम्प डाटा की समीक्षा में पाया गया कि 712 वाहनों के डुप्लीकेट चेसिस नम्बर या इंजन नम्बर थे। विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया हैः

तालिका 2.1: डुप्लीकेट चेसिस और इंजन वाले वाहनों का विवरण

क्र. सं.	डुप्लीकेट	वाहनों की संख्या							
		'सी' श्रेणी	'ई' श्रेणी	'एफ' श्रेणी	'जी' श्रेणी	'पी' श्रेणी	'टी' श्रेणी	'यू' श्रेणी	कुल
1	चेसिस नम्बर	29	-	-	74	-	2	15	120
2	इंजन नम्बर	349	10	04	160	20	13	36	592
	कुल	**378**	**10**	**04**	**234**	**20**	**15**	**51**	**712**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

इन प्रकरणों की नमूना जांच करने के लिए, दो परिवहन कार्यालयों (जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर) से 16 वाहनों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का अनुरोध किया गया। जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा अनुरोध किये गये अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। तथापि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर ने तीन वाहनों से संबंधित फ़ोल्डर उपलब्ध करवाए। इन फ़ोल्डर्स की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि एक वाहन जिसके एक ही चेसिस और इंजन नम्बर थे, जो कि पूर्व में अरूणाचल राज्य में स्वामित्व और पंजीकरण संख्या एआर 06ए 1862 में पंजीकृत था, राजस्थान में दो बार विक्रय किया गया और दो विभिन्न पंजीकरण संख्या आरजे 14 जीएल 1860 और आरजे 14 जीएन 0891 में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, नमूना जांच के परिणाम डम्प डाटा के विश्लेषण के परिणामों को मान्य करते है।

सरकार ने उत्तर (दिसंबर 2023) दिया कि वाहन में अब जाँचें प्रभावी बना दी गयी है ताकि नए पंजीकरण या बैकलॉग-एंट्री के समय इंजन/चेसिस नंबर की डुप्लिकेट एंट्री को रोका जा सके। पहले की गई गलतियों को सुधारने के लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के आंकलन के लिए, लेखापरीक्षा के द्वारा आक्षेपित प्रकरणों की नमूना जांच में यह पाया गया कि इन अनियमितताओं को सुधारा जाना बकाया था (जनवरी 2024)।

सिफारिश 2: विभाग द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, जिसमें सिस्टम की कमजोरी की पहचान एवं सुधार सम्मिलित है।

2.2.8 वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति

2.2.8.1 निर्माण उपकरण वाहन (सीईवी)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2016, के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए शुल्क निर्धारित किया था। निर्माण उपकरण वाहनों को "अन्य" (ई-श्रेणी)[5] के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था और प्रति वाहन ₹ 3,000 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया था।

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान राज्य में पंजीकृत 24,514 'ई' श्रेणी वाहनों (अन्य) से संबंधित डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि 5,314 वाहनों को गलत तरीके से अन्य श्रेणी के बजाय भारी माल वाहन और मध्यम माल वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वाहन के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 89.65 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति हुई। कम प्राप्ति का विवरण नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2: पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या	निर्धारित शुल्क (₹ प्रति वाहन)	प्रभारित शुल्क (₹ प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली (₹ प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2X5)
1	44	3,000	300	2,700	1.19
2	372	3,000	600	2,400	8.93
3	1,212	3,000	1,000	2,000	24.24
4	3,686	3,000	1,500	1,500	55.29
योग	5,314				89.65

स्रोतः वाहन पोर्टल डम्प डाटा।

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 के अन्तर्गत वाहनों की श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क एकत्रित नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जांच एवं वसूली हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा वाहनों के सही वर्गीकरण एवं तद्नुसार शुल्क वसूल करने हेतु प्रणाली में संशोधन किया जा रहा है। विभाग द्वारा 402 वाहनों से ₹ 6.71 लाख की राशि को वसूल किया जा चुका है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

[5] ई-श्रेणी - निर्माण उपकरण वाहन।

2.2.8.2 हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अंतर्गत मोर्थ की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2016, के अनुसार वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है:

I. वाहन जिनका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से कम है, हल्के मोटर वाहन श्रेणी में आवृत हैं, इनका पंजीकरण शुल्क, परिवहन वाहन के लिए ₹ 1,000, गैर परिवहन वाहन के लिए ₹ 600 और आयातित वाहन के लिए ₹ 5,000 है।

II. वाहन जिनका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से कम लेकिन 7,500 किलोग्राम से अधिक है, मध्यम मोटर वाहन में आवृत है, इनका पंजीकरण शुल्क ₹ 1,000 था। वाहन जिनका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है, भारी मोटर वाहन में आवृत है और इनका पंजीकरण शुल्क ₹ 1,500 निर्धारित है।

अवधि दिसम्बर 2016 से मार्च 2021 के दौरान हल्का मोटर वाहन/मध्यम मोटर वाहन/भारी मोटर वाहन श्रेणी के तहत पंजीकृत वाहनों से संबंधित डाटा विश्लेषण में पाया गया कि:

अ. कुल 1,291 वाहन जो कि हल्के मोटर वाहन/मध्यम मोटर वाहन (परिवहन वाहन) (सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम तक) श्रेणी के अन्तर्गत थे से ₹ 1,000 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 200 से ₹ 600 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

ब. कुल 1,441 वाहन जो कि भारी मोटर यान/भारी माल वाहन (परिवहन वाहन) (सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक) श्रेणी के अन्तर्गत थे, से ₹ 1,500 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 600 से ₹ 1,000 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

स. कुल 3,039 वाहन जो कि हल्के मोटर वाहन (गैर-परिवहन) श्रेणी के अन्तर्गत थे, से ₹ 600 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 0 से ₹ 400 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

वाहन की श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की उचित मैपिंग के अभाव में, ₹ 27.17 लाख का पंजीकरण शुल्क कम एकत्र हुआ। विवरण **तालिका 2.3** और **2.4** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3: परिवहन वाहनों से पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया था	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
वाहन का सकल वाहन भार 12000 किलोग्राम तक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	01	1,000	200	800	0.01
2	642	1,000	300	700	4.49

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया था	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
3	19	1,000	400	600	0.11
4	629	1,000	600	400	2.52
योग (अ)	**1,291**				**7.13**
सकल वाहन भार 12000 किलोग्राम से अधिक					
1	434	1,500	600	900	3.91
2	1,007	1,500	1,000	500	5.04
योग (ब)	**1,441**				**8.95**
महायोग (अ+ब)	**2,732**				**16.08**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

तालिका 2.4: हल्के मोटर वाहनों (गैर परिवहन) से पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था ₹ में (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	26	600	00	600	0.16
2	01	600	20	580	0.01
3	01	600	50	550	0.01
4	2,407	600	200	400	9.63
5	69	600	300	300	0.21
6	535	600	400	200	1.07
योग	**3,039**				**11.09**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि नये वाहन के पंजीकरण के समय भार के अनुसार वाहन के सही वर्गीकरण तथा पंजीकरण के समय शुल्क की स्वतः गणना की प्रणाली प्रभावी बना दी गयी है। यह भी सूचित किया कि संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण मामलों की जाँच करें और देय शुल्क की वसूली करें। विभाग द्वारा 1,248 वाहनों के संबंध में ₹ 4.82 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.2.9 हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 60 के अनुसार, सभी प्रकार के वाहनों के लिए किराया खरीद/लीज/हाईपोथिकेशन अनुबंध (नियम 81 में निर्धारित शुल्क) के लिए ₹ 100 थी। तथापि अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के द्वारा, मोर्थ ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम

के नियम 81 के अंतर्गत विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए किराया खरीद/लीज/हाइपोथिकेशन का शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया:

(i) वाहन जिसका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से अधिक है, उसके लिए हाईपोथिकेशन शुल्क ₹ 3,000;

(ii) वाहन जिसका सकल वाहन भार 7,500 किग्रा से कम है, उसके लिए हाईपोथिकेशन शुल्क ₹ 1,500।

डम्प डाटा का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 984 वाहन जो मध्यम माल वाहन/मध्यम मोटर वाहन और भारी माल वाहन/भारी मोटर वाहन श्रेणी के हैं, से प्रति वाहन ₹ 3,000 के स्थान पर ₹ 100 से ₹ 1,500 तक गलत हाईपोथिकेशन शुल्क प्रभारित किया गया।

इसी तरह, डम्प डाटा[6] का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 51 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से सम्बंधित 2,700 वाहन जो हल्के माल वाहन/हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में आवृत थे, से प्रति वाहन ₹ 1,500 के स्थान पर ₹ 100 से ₹ 1,000 तक का गलत हाईपोथिकेशन शुल्क प्रभारित किया गया।

इस प्रकार, मोर्थ की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार मैपिंग नहीं करने के परिणामस्वरूप 3,684 वाहन स्वामियों से ₹ 60.31 लाख के हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति हुई जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 2.5** एवं **2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: एमएमवी/एमजीवी और एचएमवी/एचजीवी वाहनों से हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	557	3,000	100	2,900	16.15
2	427	3,000	1,500	1,500	6.41
योग	**984**				**22.56**

स्रोत: वाहन डम्प डाटा।

तालिका 2.6: एलएमवी/एलजीवी वाहनों से हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2,687	1,500	100	1,400	37.62
2	12	1,500	500	1,000	0.12
3	1	1,500	1,000	500	0.01
योग	**2,700**				**37.75**

स्रोत: वाहन डम्प डाटा।

[6] डम्प डाटा में 10.13 लाख वाहनों के विवरण सम्मिलित है।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि वाहन के पंजीकरण के समय भार के अनुसार वाहन के सही वर्गीकरण तथा पंजीकरण के समय शुल्क की स्वतः गणना की प्रणाली को प्रभावी बना दिया गया है। यह भी अवगत करवाया गया कि संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जांच कर देय शुल्क की वसूली करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग द्वारा 354 वाहनों के संबंध में **₹ 6.33** लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 3: वाहन में डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए मामलों को सुधारना और ऐसे ही अनियमितताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है। यह डाटा की विश्वसनीयता और शुद्धता को बनाये रखने में मदद करेगा।

लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डाटा का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है, जिससे एप्लीकेशन के निर्धारित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

लेखापरीक्षा के इस उद्देश्य के अन्तर्गत, यह पाया गया कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा था, जिससे प्रदूषण प्रमाण पत्र गलत वैधता के साथ और ड्राइविंग लाइसेंस अनियमित रूप से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे कि रिफंड मॉड्यूल और सीएनजी वाहन सेवा मॉड्यूल आदि का उपयोग नहीं हो रहा था। उपरोक्त सभी मुद्दों और उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.2.10 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में यह प्रावधान है कि एक मोटर वाहन का संधारण इस प्रकार किया जाएगा जिससे उत्सर्जन मानकों का पालन हो। उपरोक्त नियमों का नियम 115 (7), प्रावधित करता है कि वाहन के प्रथमतः पंजीकृत होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक वाहन राज्य सरकार द्वारा इस आशय हेतु प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) रखेगा। भारत स्टेज (बीएस)-III वाहनों हेतु यह प्रमाण पत्र छः माह हेतु वैध है। तथापि बीएस-IV एवं बीएस-VI अनुपालित वाहनों के प्रकरणों में पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष है। राजस्थान मोटर वाहन जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन) 2017, प्रदूषण जांच केन्द्रों की संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने, योजना को व्यवसायोन्मुख बनाने एवं वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी।

(i) प्रदूषण जांच हेतु लंबित वाहनों एवं प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किये गए वाहनों से सम्बंधित आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नही करने वाले वाहनों की संख्या 81 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के मध्य थी।

तालिका 2.7: वर्षवार जारी किये गए पीयूसीसी एवं एक वर्ष में वाहनों की संचयी संख्या का विवरण

वर्ष	पीयूसीसी हेतु लंबित वाहनों की संख्या	जारी किये गए पीयूसी प्रमाण पत्र	कमी	कमी प्रतिशत में
2016-17	1,36,32,176	8,56,923	1,27,75,253	94
2017-18	1,49,00562	12,06,130	1,36,94,432	92
2018-19	1,62,80,006	28,27,612	1,34,52,394	82
2019-20	1,77,09,949	30,32,659	1,46,77,290	83
2020-21	1,87,10,774	35,37,848	1,51,72,926	81

स्रोतः परिवहन विभाग की सम्बन्धित वर्ष की सांस्यिकी रिपोर्ट।

(ii) जनवरी 2017 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान जारी किये पीयूसी प्रमाण पत्रों के डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 4,09,865 पीयूसी प्रमाण पत्र बीएस-III, बीएस-IV, एवं बीएस -VI वाहनों की निर्धारित वैधता मानकों के अनुसार जारी नहीं किये गये थे। विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दिया गयाः

तालिका 2.8: पीयूसी प्रमाणपत्र की गलत वैधता अवधि का विवरण

क्र.सं.	वाहन मानदंड	जारी किये गये प्रमाणपत्र की वैधता (दिनों में)				योग
		180 दिनों से कम	180 दिनों से अधिक	365 दिन से कम	365 दिन से अधिक	
1	बीएस -III	1,677	21,429	लागू नहीं	लागू नहीं	23,106
2	बीएस-IV/VI	लागू नहीं	लागू नहीं	3,83,449	3,310	3,86,759
योग		**1,677**	**21,429**	**3,83,449**	**3,310**	**4,09,865**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1,677 पीयूसी प्रमाण पत्र, बीएस-III वाहनों के लिये छः माह से कम की अवधि हेतु जारी किये गये थे और 21,429 वाहनों को पीयूसी प्रमाण पत्र छः माह से लम्बी अवधि के लिये जारी किये गये थे जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि छः माह थी। बीएस-IV एवं बीएस-VI वाहनों के लिये 3,83,449 पीयूसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किये गए और 3,310 वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी किये गए जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि एक वर्ष थी।

यह स्पष्ट है कि इन घटित होने वाली अनियमितताओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नही थी।

प्रकरण अगस्त 2021 में सरकार के संज्ञान में लाया गया। सरकार ने कमियों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को कहा (नवम्बर 2021)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सरकार को अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि पीयूसी वैधता एवं उत्सर्जन मानकों के मध्य मैपिंग का कार्य, जो कि पूर्व में विद्यमान नहीं था, वाहन टीम को दिया चुका है तथा प्रगतिरत है।

सरकार ने उत्तर में (दिसम्बर 2023) कहा कि इस सम्बन्ध में वाहन के अद्यतन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 4: विभाग, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई प्रणाली विकसित कर सकता है।

2.2.11 सारथी के माध्यम से अनियमित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तब तक मोटरयान नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया वैध लाइसेंस नहीं हो। मोटर वाहन को चलाने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तथापि, एक व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मोटर साईकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो चला सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9 (6) प्रावधित करता है कि, जिस प्रकार के वाहन के लिए आवेदन किया गया है, वैसे ही वाहन को चलाने हेतु क्षमता परीक्षण किया जायेगा।

सारथी के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 166 लर्नर लाइसेंस 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए, जो कि निम्नानुसार है:

(i) गियर के साथ मोटर साइकिल (गैर-परिवहन) हेतु कुल 83 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

(ii) हल्के मोटर वाहन के लिए कुल 81 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

(iii) दो लर्नर लाइसेंस मध्यम मोटर वाहन एवं भारी मोटर वाहन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि सारथी के नवीनतम संस्करण में आवेदक की आयु सम्बन्धी नियंत्रण/जांच प्रभावी है। अग्रेत्तर, लाइसेंस की बैकलाग प्रविष्टियों में भी जांच प्रभावी कर दी गयी है। यह भी सूचित किया गया कि आक्षेपित प्रकरणों की जांच तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा लाइसेंसों के भौतिक अभिलेख मांगे गए, परन्तु विभाग ने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये। विभाग ने बताया कि तीन लाइसेंस निरस्त (जनवरी 2023) किये गए हैं। अन्य मामलों में आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.2.12 मॉड्यूल्स का उपयोग नहीं किया जाना

2.2.12.1 रिफंड मॉड्यूल

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 7 के साथ पठित राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 का नियम 26 यह प्रावधान करता है कि यदि वाहन स्वामी द्वारा देय कर से अधिक कर का भुगतान किया गया है तो वह कुछ शर्तों के साथ रिफंड का हकदार होगा।

वाहन में उपलब्ध मॉड्यूलों के विश्लेषण करने पर पाया गया की विभाग द्वारा रिफंड करने की प्रक्रिया के लिए रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2020-21 के दौरान 413 प्रकरणों में राशि ₹ 3.10 करोड़ का रिफंड भौतिक रूप से ही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्वचालन का स्तर अपूर्ण रहा।

सरकार ने उत्तर (दिसम्बर 2023) दिया कि राजस्थान राज्य में रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथापि, रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया।

2.2.12.2 सीएनजी वाहन सेवा मॉड्यूल

मोर्थ ने (15 नवंबर 2018) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के अधीन, सुरक्षा और मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सीएनजी/एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट के लिए मॉड्यूल को लागू करने के निर्देश दिये थे।

वाहन में 'सीएनजी वाहन सेवा' मॉड्यूल निर्माताओं द्वारा सीएनजी/एलपीजी किटों की वस्तुसूची विवरण अपलोड करने और डीलरों द्वारा फिट किए गए इन किटों के साथ वाहनों को लिंक करने के लिए बनाया गया था।

वाहन में उपलब्ध मॉड्यूलों की समीक्षा में पाया गया कि मोर्थ के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के बावजूद राजस्थान राज्य में 'सीएनजी वाहन सेवा' मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस तरह, वाहनों में लगे सीएनजी/एलपीजी किटों को ट्रैक करने का मॉड्यूल का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सरकार ने उत्तर (दिसम्बर 2023) में बताया कि मॉड्यूल जून 2023 से लागू कर दिया गया था, हालाँकि, देरी के कारणों को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

2.2.12.3 पीयूसीसी मॉड्यूल

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य था।

वाहन एप्लीकेशन की समीक्षा में पाया गया की विभाग के द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) मॉड्यूल का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जा रहा था कि वाहन जिसको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, के पास वैध पीयूसीसी है। यह भी देखा गया कि 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से 24 के द्वारा पीयूसीसी मॉड्यूल को लागू किया जा चुका है।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि इस संबंध में वाहन के अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

सिफारिश 5: विभाग को विभिन्न मॉड्यूलों की उपयोगिता का आंकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वाहन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए समान मानक स्थापित करना एवं अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करना है।

2.2.13 लेखापरीक्षा मूल्यांकन

मोटर वाहन अधिनियम,1988 और मोटर वाहन नियमों के क्रियान्वयन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाहन और सारथी पोर्टल की संकल्पना की गयी थी। तथापि, डाटा की समीक्षा करने पर पाया गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां नियमों को सही तरीके से लागू नही किया गया था, या जहां सत्यापन नियंत्रण की कमी ने डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा की थी। इसके अलावा, नियमों की गलत मैपिंग के परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति हुई परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने प्रस्तुत सभी तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर डाटा की शुद्धता में सुधार करने के लिए उपाय किये जा रहे है और आवश्यक बिजनेस नियमों को सिस्टम में शामिल किया जा रहा है।

सिफारिश 6: सरकार को डाटा की शुद्धता के लिए इनपुट और सत्यापन नियंत्रण में सुधार के लिए सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक चेंज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे बिजनेस नियमों को त्वरित रूप से प्रणाली में अपडेट किया जा सके के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के साथ बनाया जाना चाहिए।

2.3 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 680 वाहनों का मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹ 3.37 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाना।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, सभी परिवहन वाहनों जिनको राज्य में उपयोग या उपयोग हेतु रखे गए हैं पर मोटर वाहन कर और विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है, केवल उन वाहनों को छोड़कर जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एक मुश्त कर का भुगतान किया हो। अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार, देय कर पर दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक 5 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार अधिभार 6.25 प्रतिशत की दर से देय था। अधिसूचना दिनाक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि के पश्चात् कर का भुगतान नहीं करने पर देयकर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके अलावा, राजस्थान मोटर

वाहन कराधान नियम,1951 के नियम 8 और 33 कराधान अधिकारी, को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

चयनित 11 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी के कुल 2,13,875 वाहनों, में से 55,758 वाहनों की नमूना जांच की गई थी। इन कार्यालयों के वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के पंजीकरण अभिलेख, कर खातों, सामान्य सूचकांक रजिस्टर और वाहन सॉफ्टवेयर की नमूना जांच (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) के दौरान, पाया गया कि 680 वाहनों स्वामियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था जो यह सिद्ध करते हों कि वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित कर दिये गये थे। तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं अधिभार ₹ 3.37 करोड़ की वसूली नहीं हुई। विवरण **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: कर एवं अधिभार की अवसूली का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों के नाम जहां अनियमितताएं पाई गई
1.	माल वाहन	154	0.40	जिला परिवहन अधिकारी - गुड्स जयपुर और टोंक
2.	परिवर्तित माल वाहन	307	1.32	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - अजमेर जिला परिवहन अधिकारी - दूदू, गुड्स जयपुर, कोटपूतली, किशनगढ़ और शाहपुरा
3.	डम्पर/टिप्पर	116	0.38	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - सीकर जिला परिवहन अधिकारी - गुड्स जयपुर, कोटपूतली
4.	कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (अखिल भारतीय परमिट)	13	0.42	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -अजमेर जिला परिवहन अधिकारी - पीवी-द्वितीय जयपुर
5.	स्टेज कैरिज (ग्रामीण मार्ग)	39	0.21	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -सीकर जिला परिवहन अधिकारी - किशनगढ़
6.	स्टेज कैरिज (अन्य मार्ग)	51	0.64	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - दौसा और सीकर जिला परिवहन अधिकारी - पीवी-द्वितीय जयपुर
	योग	**680**	**3.37**	

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

इन प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद (जून 2021), नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2023 के मध्य) कि 274 वाहनों से सम्बंधित ₹ 1.01 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में नियमित रूप से उठाया गया है। गत तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2016-17 से 2018-19) में भी राशि ₹ 49.71 करोड़ के 9,843 प्रकरणों को लेखापरीक्षा

द्वारा इंगित किया जा चुका है। विभाग ने उन आपत्तियों को स्वीकार किया और 2,610 प्रकरणों में ₹ 11.56 करोड़ (23.25 प्रतिशत) की वसूली की। तथापि, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी। इस तरह की अनियमितताओं की लगातार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विभाग को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में उचित जांचों का निर्माण कर सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए।

2.4 परिवहन वाहनों से एक बारीय कर की अवसूली

वाहन मालिकों द्वारा 81 परिवहन वाहनों के संबंध मे राशि ₹ 0.50 करोड़ का एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया देय राशि की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों पर एक बारीय कर[7], राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों पर देय है। देय कर पर अधिभार भी आरोपित है। अनुमत्य अवधि के पश्चात कर का भुगतान नहीं करने पर, देय कर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी देय है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर एवं जिला परिवहन अधिकारी, टोंक की लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 18,409 मालवाहक वाहनों में से 7,000 वाहनों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इन वाहनों के कर खातों की वाहन डाटा और *ई-ग्रास*[8] डाटा के साथ समीक्षा (सितंबर 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) में पाया गया कि 81 परिवहन वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में यह सूचना उपलब्ध नहीं थी कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित कर दिये गये थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग के द्वारा वाहन एप्लीकेशन में वाहनों के कर निर्धारण का डाटा अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके कारण कर न चुकाने वाले करदाताओं को चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इसलिए, विभाग चूककर्ताओं की प्रभावी निगरानी एवं बकाया कर की वसूली में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत देय राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ की राशि के एक बारीय कर (अधिभार सहित) की वसूली नहीं हुई।

---

[7] एक बारीय कर के अंतर्गत सभी गैर-परिवहन वाहन, 16,500 सकल कुल भार तक के परिवहन वाहन (माल) और परिवहन वाहन (यात्री) जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट बैठक क्षमता 22 को शामिल किया गया है।

[8] **"ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियां लेखा प्रणाली (ई-ग्रास)** राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो मिशन मोड परियोजना श्रेणी में है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है।"

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 और दिसम्बर 2023 के मध्य) कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा दो वाहनों से ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, वाहन सॉफ्टवेयर में वाहनों के कर निर्धारण से संबंधित डाटा को अद्यतन न करने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था। आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.5 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की वसूली/अवसूली

विभाग द्वारा 301 वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ के एकमुश्त कर एव शास्ति की वसूली/अवसूली हुई।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम,1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर, समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों पर देय है। वाहन स्वामी के विकल्प पर, एकमुश्त कर का भुगतान संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष में किया जा सकता है। दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था। तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार अधिभार 12.50 प्रतिशत की दर से देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि के पश्चात कर का भुगतान नहीं करने पर, देय कर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित है।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) के दौरान कुल 1,20,353 वाहनों[9] में से 33,850 वाहनों जो कि सात परिवहन कार्यालयों[10] से संबंधित थे की जांच में पाया गया की 286 वाहन स्वामियों द्वारा पहली या दूसरी किस्त का भुगतान करने के बाद बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था और 15 वाहनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त वाहनों के सड़क पर नहीं होने या अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने के विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। विभाग, बकाएदारों से बकाया कर की वसूली की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्निहित, देय राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ के कर (अधिभार सहित) की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2022 और दिसम्बर 2023 के मध्य) कि 112 वाहनों से सम्बंधित ₹ 0.84 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

---

9 1,03,694 भार वाहन + 16,659 टैक्सी/मैक्सी।

10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अजमेर, जयपुर, सीकर, दौसा।
जिला परिवहन अधिकारीः जयपुर (भार), दूदू, टोंक।

इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में नियमित रूप से उठाया गया है। गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2014-15 से 2018-19) में भी राशि ₹ 37.79 करोड़ के 7,102 प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा चुका है। विभाग ने उन आपत्तियों को स्वीकार किया और 2,178 प्रकरणों में ₹ 13.01 करोड़ (34.43 प्रतिशत) की वसूली की। तथापि, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी। इस तरह की अनियमितताओं की लगातार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विभाग को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में उचित जांचों का निर्माण कर सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए।

खान प्राप्तियां

2.6 परिचय

सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान, छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) हैं।

खान एवं भूविज्ञान विभाग में 130 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[11] थीं। इनमें से 21 इकाइयों[12] का लेखापरीक्षा के लिए चयन[13] किया गया, जिनमें से 18,463 प्रकरणों[14] में से लेखापरीक्षा ने 9,531 प्रकरणों[15] (51.62 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की। इनमें 2,606 प्रकरणों में

---

[11] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं भूविज्ञान विभाग और निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, कार्यालय के अलावा 128 अन्य इकाईयां इसमें शामिल हैं।

[12] अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, खान जयपुर, अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) जयपुर, अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर, खनि अभियंताः अजमेर, जयपुर, सीकर, मकराना; खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर, सहायक खनि अभियंताः नीमकाथाना, टोंक, दौसा, कोटपुतली, अजमेर, जयपुर, सीकर, मकराना, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता): नीम का थाना, टोंक एवं कोटपुतली।

[13] कोविड-19 महामारी के कारण जयपुर के आसपास स्थित इकाईयों का लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया।

[14] कुल 18463 प्रकरणः 2,786 खनन पट्टे, 61 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 720 खदान अनुज्ञप्ति, 8,737 खनिज के अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण, 451 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के प्रकरण, 1,773 राजस्व निर्धारण के प्रकरण, रिफंड का एक प्रकरण, 1,237 बकाया के प्रकरण एवं 2,697 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[15] कुल 9531 प्रकरणों का चयन कर जांच की गयीः 672 खनन पट्टे, 60 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 76 खदान अनुज्ञप्ति, 6,255 खनिज के अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण, 240 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के प्रकरण, 329 राजस्व निर्धारण के प्रकरण, रिफंड का एक प्रकरण, 475 बकाया के प्रकरण एवं 1,423 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

₹ 480.95 करोड़ की कमियां पायी गयी। इसके अतिरिक्त "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी, जिसमें ₹ 13.01 करोड़ की अनियमितताएं पायी गयी। लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई थी परन्तु ये अनियमितताऐं बनी रही तथा अगली लेखा परीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों को गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 1,027 प्रकरणों में ₹ 339.62 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 801 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 331.31 करोड़ निहित थी, वर्ष 2020-21 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 209 प्रकरणों में ₹ 1.03 करोड़ वसूल किये। "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 14.17 करोड़ अन्तर्निहित हैं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन

खनन पट्टे और खदान अनुज्ञप्तियों से खनिजों के खनन एवं बिक्री की अनुमति दी जाती है जबकि अल्पावधि अनुज्ञापत्रों (एसटीपी) के द्वारा सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज की निर्दिष्ट मात्रा का उत्खनन/निर्गमन के लिए अनुमति दी जाती है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में विभिन्न अनियमितताएं ध्यान में आईं जैसे कि आवेदन ऑनलाईन जमा करने के निर्देशों के बावजूद अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनुदान के लिये ऑफलाईन आवेदन प्राप्त होना, नमूना जांच किये गये किसी भी कार्यालय द्वारा ई-अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जाना, आवेदनों की अपर्याप्त जांच के कारण पूरा विवरण भरे बिना या खाली आवेदनों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्रा जारी करना, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाईन विवरणी जमा नहीं करना, रॉयल्टी जमा किए बिना अनियमित रूप से अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जाना और अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना। तत्परतापूर्वक मूल्यांकन नहीं करने के परिणामस्वरूप अवैध रूप से उपभोग किये गये खनिज कीमत की मांग कायम नहीं हो सकी। विभागों के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप कई अनियमितताएं हुईं, जिनमें अनाधिकृत खनिज का उपयोग, रॉयल्टी और अन्य बकाया की कम वसूली/अवसूली शामिल हैं।

2.7.1 परिचय

राज्य सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों और अन्य अप्रधान खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (आरएमएमसी नियम, 2017) बनाये।

खनिजों को एक वैध खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति या खान एवं भू विज्ञान विभाग (विभाग) द्वारा जारी एक वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के माध्यम से उत्खनित और हटाये जा सकते हैं। खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति, आवेदकों को खनिजों के उत्खनन एवं विक्रय हेतु अनुदानित की जाती हैं, जबकि अल्पावधि अनुज्ञापत्र का अर्थ सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि[16] के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से, खनिज की निर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन एवं हटाये जाने हेतु प्रदान किया जाने वाला अनुज्ञापत्र से है।

विभाग का वेब आधारित प्रोग्राम

विभाग ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र/खनन पट्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, लगभग सभी सरकारी बकाया राशि जमा करने, ऑनलाइन ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास बनाने, मांग और संग्रहण पंजिका के संधारण, जारी किए गए अनुज्ञापत्र/अल्पावधि अनुज्ञापत्र का डाटा, जमा की गई राशि और तुला-यंत्रों का पैनल बनाने के लिये 'खान एवं भू विज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली' (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित प्रोग्राम विकसित किया था। यह प्रणाली 10 अक्टूबर 2017 से कार्य कर रही है।

2.7.2 अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने प्रक्रिया

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं।

1. अधिशुल्क के भुगतान का विकल्प

कार्य के निष्पादन में खनिज के उपभोग के लिए अधिशुल्क का भुगतान करने के लिए ठेकेदार निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकता है :-

(i) संबंधित निर्माण विभाग[17] द्वारा रनिंग बिलों से अधिशुल्क की कटौती,

(ii) अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन के साथ अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान,

(iii) खरीदे गये या उपयोग किये गये खनिज की संपूर्ण मात्रा अधिशुल्क भुगतान की हुई काम में ली जावेगी, ऐसा अभिवचन करेगा।

---

[16] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(7) के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र की कालावधि कार्य आदेश की अवधि के बराबर होगी जब तक कि कम अवधि के लिये आवेदन न किया गया हो।

[17] निर्माण विभाग जैसे की सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, नगर सुधार न्यास आदि।

(iv) संबंधित निर्माण विभाग द्वारा रनिंग बिलों से निर्दिष्ट दरों[18] पर अधिशुल्क की कटौती।

ठेकेदार अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा और उपरोक्त विकल्प (iv) के अलावा प्रत्येक विकल्प में संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

2. आवेदन प्रस्तुत करना

अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए ठेकेदार द्वारा संबंधित खनि अभियन्ता या सहायक खनि अभियन्ता को खनिजों की मात्रा और उस अवधि का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति कार्य आदेश, अनुसूची-जी[19] या मात्रा का बिल, उस क्षेत्र का विवरण और योजना जहां से खनिज की खुदाई की जाएगी, क्षेत्र का राजस्व अभिलेख, भूमि आवेदक की नहीं होने पर *खातेदार*[20] की सहमति हैं। अक्टूबर 2018 से इसे डीएमजीओएमएस प्रणाली पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को जारी करना

आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित खनि अभियन्ता या सहायक खनि अभियन्ता नियमों के तहत आवश्यक मंजूरी या अनुमोदन जैसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति या पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति आदि प्राप्त होने के बाद अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर सकता है।

तथापि, संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता लिखित कारणों के साथ, किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र देने से इनकार कर सकेगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र की अवधि कार्य आदेश की अवधि के समान होगी जब तक कि कम अवधि के लिए आवेदन नहीं किया गया हो। खनिजों पर अधिशुल्क, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अनुसार देय होगा। अधिशुल्क के अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक को संबंधित नियमों में निर्दिष्ट दरों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) और राजस्थान राज्य अन्वेषण न्यास (आरएसएमईटी) निधि में भी योगदान देना होगा।

जब ठेकेदार क्रम संख्या 1(i) से (iii) में उल्लेखित अधिशुल्क के भुगतान के लिए किसी भी विकल्प को चुनता है, तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक/ठेकेदार, निर्माण विभाग द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को अधिशुल्क निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत करेगा। अधिशुल्क निर्धारण के बाद, संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक/ठेकेदार को अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा। निर्माण विभाग अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अंतिम बिल का भुगतान

18 सड़क निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन निर्माण के मामले में कार्य की कुल लागत का तीन प्रतिशत तथा मरम्मत और अन्य कार्यों के मामले में डेढ प्रतिशत है।

19 यह संविदा दस्तावेज में शामिल मात्राओं और मूल्यों की एक अनुसूची है।

20 *खातेदार* सरकारी भूमि पर किरायेदार होते है, जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिये भूमि दी जाती है।

करेगा। तथापि, क्रम संख्या 1(iv) विकल्प के मामले में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा किसी निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी और अधिशुल्क की कटौती संबंधित निर्माण विभाग द्वारा रनिंग बिलों से की जायेगी।

2.7.3 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व

पिछले चार वर्षों में, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व संग्रहण एवं विभाग के कुल राजस्व संग्रहण पेट्रोलियम के अलावा का प्रतिशत नीचे **तालिका 2.10** में दिया गया है:

तालिका 2.10: अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोलियम के अलावा कुल राजस्व	अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व	कुल राजस्व का प्रतिशत
2018-19	5,110.40	98.95	1.94
2019-20	4,347.20	88.93	2.05
2020-21	4,797.22	100.20	2.09

स्रोतः विभागीय वेब-आधारित प्रणाली डीएमजीओएमएस।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व 2018-19 में ₹ 98.95 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 88.93 करोड़ रह गया और 2020-21 में फिर से बढकर ₹ 100.20 करोड़ हो गया। तथापि, कुल राजस्व में अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से प्राप्ति का प्रतिशत राजस्व हिस्से में बढोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.7.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिये की गयी थी कि क्याः

- अल्पावधि अनुज्ञापत्र विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं, आदेशों के अनुसरण में जारी किये जा रहे थे, तथा
- शुल्क/अधिशुल्क निर्धारित दरों के अनुसार संग्रहित और समय पर जमा किये गये थे।

2.7.5 कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली

विभाग में नौ वृत्त कार्यालय तथा 49 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय हैं। नौ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों[21] (प्रत्येक वृत्त से एक कार्यालय) का लेखापरीक्षा हेतु चयन इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस (आईडिया) के माध्यम से यादृच्छिक (रेण्डम) प्रणाली से किया गया। निर्माण विभागों[22]/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/स्थानीय निकायों[23] से संकलित सूचनाओं की संबंधित

[21] नौ चयनित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय अजमेर, अलवर, आमेट, बालेसर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा बीकानेर।

[22] निर्माण विभाग अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, आदि।

[23] पंचायती राज विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और नगरीय सुधार न्यास आदि।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों से जांच की गई। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि में जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की जून और नवंबर 2021 के बीच नमूना जांच की गई। 9,250 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 717 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[24] का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर से रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022)। सरकार का उत्तर मार्च 2022 और जून 2022 में प्राप्त हुआ। उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल किया गया है। निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ 21 सितंबर 2022 को एक समापन परिचर्चा आयोजित की गयी। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने निष्कर्षों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या अल्पावधि अनुज्ञापत्र विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं और आदेशों के अनुसरण में जारी किये जा रहे थे।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत यह देखा गया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करते समय नियमों, प्रक्रियाओं और आदेशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही थी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण शपथ पत्रों के आधार पर जारी किये गये थे और कुछ प्रकरणों में उन्हें खाली आवेदन पत्रों पर भी जारी किया गया था। खनि अभियंताओं द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र पंजिका का संधारण नहीं किया गया था, इन पंजिकाओं के अभाव में ठेकेदारों का विवरण और उनके द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क भुगतान के विकल्प कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। जिससे उत्तरदायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित करने में इन कार्यालयों हेतु कठिनाई उत्पन्न हुई। इनके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अधिशुल्क निर्धारण की उचित निगरानी भी नहीं हुई। अधिशुल्क निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना और ऑनलाईन विवरणी जमा नहीं करने जैसी अनियमितताएं भी देखी गयी। इन बिन्दुओं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.7.6 अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करना

2.7.6.1 ऑनलाइन प्रणाली से अल्पावधि अनुज्ञापत्र आवेदनों की प्राप्ति और निपटान

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2018 तथा 10 दिसंबर 2018 के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और ठेकेदारों को ऑनलाइन अल्पावधि अनुज्ञापत्र (*ई-एसटीपी*) जारी किये जावेंगे। तदनुसार, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए खनिजों का निर्गमन केवल ई-रवन्नाओं के माध्यम से ही किया जाएगा।

[24] प्रत्येक चयनित कार्यालय में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का चयन किया गया। इनके अतिरिक्त, 42 अनुज्ञापत्रों को भी जोखिम के आधार पर सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर में चुना गया।

चयनित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों में अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- खनि अभियंता बांसवाड़ा में, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए 550 आवेदनों में से 491 (89 प्रतिशत से अधिक) भौतिक रूप में प्राप्त हुए।
- खनि अभियंता अजमेर और खनि अभियंता बारां कार्यालयों में डीएमजीओएमएस के माध्यम से 1,140 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुये। तथापि, कार्यालयों द्वारा केवल 931 आवेदनों पर कार्यवाही (अप्रैल 2018 से मार्च 2021) की गई। निस्तारित आवेदनों को मैनुअल पंजिका में दर्ज किया गया। शेष 209 आवेदनों को न तो मैनुअल पंजिका में दर्ज किया गया और न ही कार्यालयों द्वारा उन पर कार्यवाही की गयी। इन आवेदनों को या तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर या आवेदनों को कारण सहित खारिज करते हुए निस्तारण किया जाना चाहिए था। जबकि, ऐसा नहीं किया गया।
- इसके अलावा, नौ चयनित कार्यालयों में से किसी ने भी *ई-एसटीपी* जारी नहीं की।

इस प्रकार, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के आदेश की पालना नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्राप्त होने की तिथि और *ई-एसटीपी* जारी करने के संबंध में पारदर्शिता की कमी हुई।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि क्षेत्र का निरीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण *ई-एसटीपी* की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन मोड के माध्यम से पूरा किया जाना संभव नहीं था। तथापि, अनुज्ञापत्र जारी होने के बाद आवेदकों को डीएमजीओएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जो प्रक्रियाएं ऑनलाईन नहीं की जा सकीं, उन्हें कम से कम भौतिक रूप से किया जा सकता था और फिर सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ *ई-एसटीपी* जारी की जा सकती थी। इसके आगे, लेखापरीक्षा द्वारा बाद में पुनः जांच किये जाने पर पाया कि निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा जारी निर्देशों का अभी तक (जनवरी 2024) पालन नहीं किया जा रहा था।

2.7.6.2 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए प्रस्तुत आवेदनों में पाई गई कमियां

- **अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत करना।**

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iv) में कहा गया है कि निर्माण ठेकेदार को मात्रा के बिल या अनुसूची-जी और एक स्व-प्रमाणित वचनपत्र के साथ एक विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें कहा गया हो कि उपयोग की गई खनिज की संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया जाएगा।

चयनित खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण करने पर दो कार्यालयों में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः

खनि अभियंता, बांसवाड़ा

कुल 762 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच की गई। यह देखा गया कि 38 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iv) के तहत अपेक्षित स्व-प्रमाणित वचनपत्र नहीं पाये गये।

खनि अभियंता, अजमेर

कुल 870 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच की गई। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चार वचनपत्रों में अनियमितताएं देखी गईं, अर्थात् ओवरराइटिंग (एक प्रकरण), गलत कार्य आदेश संख्या का उल्लेख किया गया (एक प्रकरण), आवेदक के हस्ताक्षर नहीं मिले (एक प्रकरण) और कार्यादेश संख्या का उल्लेख नहीं किया गया (एक प्रकरण)। खनि अभियंता अजमेर ने इन कमियों को नजरंदाज करते हुए आवेदकों को अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर दिये। उपरोक्त कमियां दर्शाती हैं कि वचनपत्र की जांच और अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के दौरान यथोचित उद्यम नहीं किया गया।

सरकार ने खनि अभियंता, बांसवाड़ा के संबंध में उत्तर दिया (मई 2022) कि भविष्य में आवेदनों के साथ स्वप्रमाणित वचनपत्र लिये जायेंगे। खनि अभियंता, अजमेर के संबंध में यह उत्तर दिया कि अभ्युक्तियों की अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

- **रिक्त आवेदन पत्रों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करना**

खनि अभियंता बांसवाड़ा द्वारा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जारी कुल 762 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से चयनित 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की जांच से ध्यान में आया कि तीन मामलों में, ठेकेदारों द्वारा रिक्त आवेदन पत्र जमा किए गए थे। एक अन्य मामले में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे। तथापि, खनि अभियंता बांसवाड़ा ने इन सभी तीनों प्रकरणों में नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किये बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर दिये।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ये आवेदन पत्र अब पूरे भरे जा चुके हैं। उत्तर से स्पष्ट है कि रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदनों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय खनि अभियंता कार्यालय ने लापरवाही बरती। दोषी कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उन पर उचित कार्यवाही की जाये।

सिफारिश 1: विभाग आवेदनों के ऑनलाईन निपटान तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच के लिये एक ऑनलाईन चैक लिस्ट प्रदान करने पर विचार कर सकता है, इससे दक्षता, पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण में सुधार के साथ ही निगरानी में भी सहायता होगी। रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार करने में गलती करने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

2.7.7 अल्पावधि अनुज्ञापत्र पंजिकाओं का संधारण नहीं करना

विभागीय मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय द्वारा एक पंजिका का संधारण किया जाना था जिसमें अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण होना चाहिए था।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार संबंधित निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश तथा कार्य की अनुसूची-जी[25] की एक प्रति कार्य के निष्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले खनिजों (घन मीटर या मीट्रिक टन) के विवरण सहित क्षेत्राधिकार रखने वाले खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करनी थी। संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना था कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार निर्माण विभाग अधिशुल्क की वसूली करता है।

चयनित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला किः

- दो खनि अभियंता कार्यालयों[26] ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान वांछित पंजिका का संधारण नहीं किया तथा
- खनि अभियंता अलवर ने यद्यपि नियम 51(9)(ii) के तहत जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए एक पंजिका संधारित की थी जो कि रायल्टी के अग्रिम भुगतान से सम्बद्ध थी, लेकिन अन्य अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[27] के लिए कोई पंजिका संधारित नहीं की गयी थी।
- इस प्रकार, इन तीन कार्यालयों द्वारा जारी किए गए 2,504 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[28] (कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना) की निगरानी निर्देशित पंजिका के माध्यम से नहीं की गयी।

पंजिकाओं के अभाव में, सभी उत्तरदायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों के विवरण और उनके द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क भुगतान के विकल्प इन कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अधिशुल्क निर्धारण की निगरानी भी नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की प्रोफाइल/पंजिका बनाने के लिए डीएमजीओएमएस में पर्याप्त प्रावधान थे। यह भी कहा गया कि संबंधित कार्यालयों द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रोफाइल/पंजिका को अद्यतन किया जा रहा था।

इसलिये उत्तर और भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबंधित कार्यालय प्रोफाइल/पंजिका को उचित रूप से अद्यतन नहीं कर रहे थे, जबकि इसके लिए प्रावधान मौजूद थे। ऑनलाइन

---

[25] यह संविदा दस्तावेज में शामिल मात्रा और मूल्यों की एक अनुसूची हैं।

[26] खनि अभियंता : बांसवाड़ा और बीकानेर।

[27] अन्य अल्पावधि अनुज्ञापत्र : नियम 51(9)(i, iii और iv) के तहत जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[28] अल्पावधि अनुज्ञापत्र-2,504: खनि अभियंता अलवर-886, खनि अभियंता बांसवाड़ा-550 एवं खनि अभियंता बीकानेर-1068।

पंजिका में महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव है, जैसे न्यास निधि के लिए अंशदान, अल्पावधि अनुज्ञापत्र शुल्क, कार्य में आवश्यक एवं प्रयुक्त खनिज की मात्रा, अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और अंतिम बिल के भुगतान की तिथि आदि। इस प्रकार, भले ही इस पंजिका का उपयोग किया गया हो, लेकिन राज्य/विभाग, ठेकेदार द्वारा सभी संदायों का भुगतान किया गया है या नहीं का पालन करने और निगरानी करने की स्थिति में नहीं था।

इसी तरह का प्रकरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 7.4.4.1 के माध्यम से विभाग के ध्यान में लाया गया था। तथापि, विभाग आज तक एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफल रहा है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 2: विभाग अधिशुल्क/फीस आदि का भुगतान न करने वालों की पहचान करने के किए ऑनलाईन प्रणाली में प्रभावी जांच शुरू करने पर विचार कर सकता है और दोषी कार्मिकों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

2.7.8 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9) के अनुसार, ठेकेदार को प्रत्येक मामले में अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख जमा कराने होगें सिवाय इसके कि जब अल्पावधि अनुज्ञापत्र उप नियम (9)(iv) के तहत जारी किया गया हो।

इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 2(iv) के अनुसार निर्धारण अधिकारी का अर्थ है खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता या राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने के लिये अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

2.7.8.1 निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत न करना

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा जारी किए गए 6,784 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 492 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 127 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से संबंधित कुल राशि ₹ 411.23 करोड़ मूल्य के कार्य थे जिन्हें अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के बीच पूर्ण किया जाना था, जैसा कि कार्य आदेशों में दर्शाया है। लेकिन, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि से दो से 40 महीने के विलम्ब के पश्चात् भी अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.11: निर्धारण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने का विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	नमूना जांच किये गये अल्पावधि अनुज्ञापत्र	अभिलेख प्रस्तुत न करना (अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या)	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि के बाद का समय (माह में)	कार्यादेशों की राशि (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता अजमेर	50	5	2 से 28	5.24
2	खनि अभियंता आमेट	50	8	4 से 28	4.80
3	खनि अभियंता बीकानेर	50	29	5 से 38	250.86
4	खनि अभियंता भरतपुर	50	22	5 से 35	49.89
5	खनि अभियंता भीलवाड़ा	50	18	8 से 40	4.46
6	सहायक खनि अभियंता बालेसर	92	16	2 से 38	2.72
7	खनि अभियंता बांसवाड़ा	50	10	9 से 35	22.00
8	सहायक खनि अभियंता बारां	50	18	10 से 37	71.07
9	खनि अभियंता अलवर	50	1	10	0.19
	योग	**492**	**127**	**2 से 40**	**411.23**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

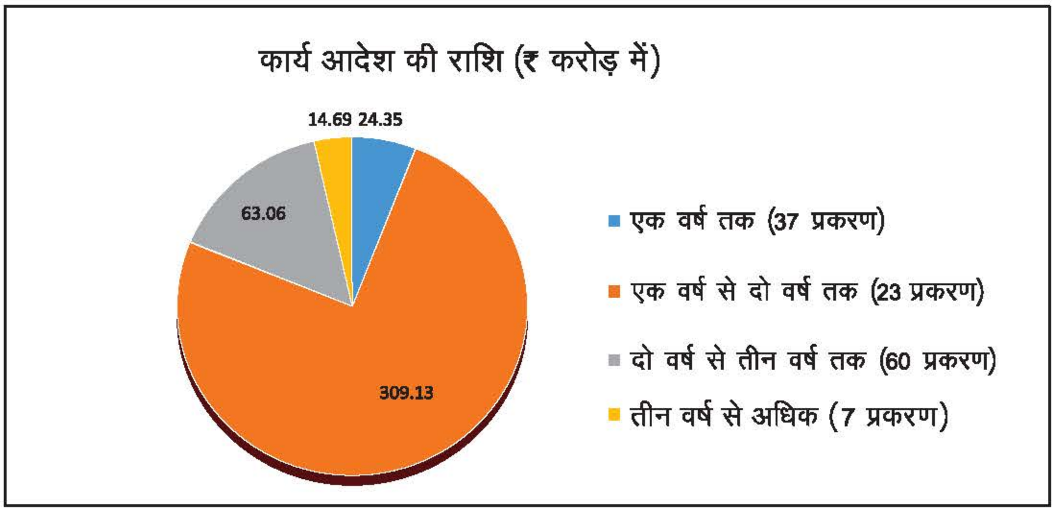

चित्र 1: अल्पावधि अनुज्ञापत्र जिनके लिए अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये का सचित्र निरूपण।

विभाग, 23 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कुल ₹ 309.13 करोड़ के कार्यों में, अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा तथा एक से दो वर्ष के बाद भी सही राशि की वसूली से अनभिज्ञ रहा।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि अधिशुल्क निर्धारण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किये जा रहे हैं। सात अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अधिशुल्क निर्धारण हो चुका

है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देश भी जारी किए गए थे।

2.7.8.2 अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाईन विवरणी जमा न करना

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने प्रभावी निगरानी हेतु अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने और डीएमजीओएमएस पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण अपलोड करने के आदेश जारी किये (10 दिसंबर 2018)। इसके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों को अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन विवरणी जमा करना आवश्यक था। हालांकि, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए कोई शास्ति का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

चयनित कार्यालयों में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 2,466 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अधिशुल्क निर्धारण किया गया था, जिनमें से 225 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को लेखापरीक्षा जांच के लिए चयन किया गया। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के विश्लेषण से पता चला कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। संबंधित अधिकारियों ने भी ई-विवरणी जमा करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, क्योंकि शास्ति आरोपण हेतु कोई प्रावधान नहीं थे।

ई-विवरणी के अभाव में, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् डीएमजीओएमएस के माध्यम से खनिजों की खपत और अधिशुल्क वसूली की निगरानी करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल अपने वांछित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं थे। तथापि, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा विवरणी जमा करने के लिए डीएमजीओएमएस में उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि वास्तविकता यह है कि नियमों में ऑनलाइन विवरणी जमा करने का प्रावधान अभी भी लंबित हैं (जनवरी 2024)।

सिफारिश 3: राज्य सरकार अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिये नियमों में प्रावधान जोड़ने और विवरणी जमा न करने पर शास्ति का प्रावधान करने पर विचार कर सकती है। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का विवरण ऑनलाइन करने से पारदर्शिता रहेगी तथा यह राजस्व के रिसाव के खिलाफ निवारक भूमिका भी निभाएगा।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या फीस/अधिशुल्क निर्धारित दरों के अनुसार संग्रहित की गई तथा समय पर जमा की गई।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत यह देखा गया कि आवेदकों ने अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की राशि ₹ 13.20 करोड़ अग्रिम जमा नहीं कराई थी लेकिन उन्हें अल्पावधि

अनुज्ञापत्र जारी किये गये। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के दोषपूर्ण अधिशुल्क निर्धारण होने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.72 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय की कमी के कारण वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना ही कार्यों का निष्पादन हुआ। इसके अलावा, अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिजों के उपयोग के साथ-साथ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की अवसूली या कम वसूली के उदाहरण भी चिह्नित किये गये। पंचायत समितियों द्वारा खनिजों की खरीद में भी अनियमिततायें पायी गयी। इन अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.7.9 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का निर्धारण तथा अधिशुल्क और अन्य बकाया का संग्रहण

2.7.9.1 अधिशुल्क एवं डीएमएफटी राशि का अग्रिम भुगतान न करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(ii) के अनुसार ठेकेदार आवश्यक मात्रा, परमिट शुल्क, डीएमएफटी में अंशदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन करेगा। ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने होगें और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 77 में प्रावधान है कि स्थिर भाटक, अधिशुल्क, वार्षिक खदान अनुज्ञप्ति शुल्क, अधिशुल्क संग्रहण ठेके, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि तथा डीएमएफटी फंड और राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी) फंड के लिए योगदान पर नियत तिथि से 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

सहायक खनि अभियंता बालेसर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 117 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 46 अल्पावधि अनुज्ञापत्र, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(ii) के तहत जारी किये गये थे। नियमों के अनुसार, ठेकेदार को आवेदन के समय अधिशुल्क और डीएमएफटी फंड में योगदान की राशि अग्रिम जमा कराना आवश्यक था। तथापि, ये अल्पावधि अनुज्ञापत्र अधिशुल्क और डीएमएफटी फंड में योगदान राशि ₹ 13.20 करोड अग्रिम जमा किये बिना ही अनियमित रूप से जारी किये गये थे।

कुल 29 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों ने बाद में सम्पूर्ण अधिशुल्क राशि जमा करा दी। तथापि, शेष 17 प्रकरणों में ₹ 2.63 करोड़ जमा किये जाने बकाया थे (जुलाई 2022)। 46 प्रकरणों में से, छह प्रकरणों में सम्पूर्ण डीएमएफटी अंशदान राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था, 24 प्रकरणों में डीएमएफटी अंशदान राशि का भुगतान देरी से किया गया और शेष 16 प्रकरणों में ₹ 0.33 करोड़ डीएमएफटी अंशदान का भुगतान किया जाना शेष था।

इस प्रकार, कुल ₹ 2.96 करोड़ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 2018-2021 की अवधि के लिये अधिशुल्क और डीएमएफटी

फंड में अंशदान के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.87 करोड़ आरोपित अथवा वसूली नहीं की गयी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों को ई-रवन्ना जारी करने की अनुमति देने से पहले अधिशुल्क और डीएमएफटी राशि प्राप्त की जा रही थी। यह भी उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों और संबंधित निर्माण विभागों को अधिशुल्क, डीएमएफटी और देय ब्याज की शेष राशि 15 दिनों में जमा कराने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। तथापि, प्रत्युत्तर इस बात पर मौन था कि इन अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र कैसे जारी किये गये और क्या राजस्व के नुकसान के लिए संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जा रही थी।

2.7.9.2 त्रुटिपूर्ण निर्धारण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iii) में प्रावधान है कि ठेकेदार अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए स्व-प्रमाणित वचनपत्र के साथ आवेदन करेगा कि खनिज की संपूर्ण मात्रा की खरीद या उपयोग रॉयल्टी का भुगतान कर किया जाएगा और अधिशुल्क निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोग प्रमाण पत्र के साथ अधिशुल्क भुगतान खनिजों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54(5) के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति बिना कानूनी प्राधिकार के किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के अतिरिक्त किसी भी भूमि से कोई खनिज प्राप्त करता है और जहां इस प्रकार प्राप्त खनिज का पहले ही निर्गमन या उपभोग कर लिया है, सक्षम प्राधिकारी उक्त खनिज की कीमत वसूल करेगा, जो कि देय अधिशुल्क राशि का दस गुना होगी साथ ही प्रशमन शुल्क भी देय होगा।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iii) के तहत 2,466 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का निर्धारण किया गया था तथा सभी प्रकरणों में अदेय प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। चयनित 225 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 38 प्रकरणों में निर्धारण यथोचित उद्यम से नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण के लिये ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास/रॉयल्टी रसीदों में विभिन्न अनियमितताएं देखीं। इन निर्धारणों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दिया गया हैः

तालिका 2.12: निर्धारण में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

क्रम संख्या	निर्धारण में पायी गयी अनियमिततायें	प्रकरणों की संख्या	मात्रा मै.टन में	राशि (₹ लाख में)
1	ट्रांजिट पासों का दोहरा समायोजन अर्थात प्रथम तथा अंतिम बिलों के साथ प्रस्तुत ट्रांजिट पासों की समान प्रतियां या विभिन्न खनिजों के लिये समान ट्रांजिट पास प्रस्तुत किये गये थे।	2	361	1.00
2	बिलों के साथ प्रस्तुत ट्रांजिट पास कार्य पूर्ण होने के पश्चात विभाग द्वारा जारी किये गये थे।	9	3,228	10.19
3	रॉयल्टी रसीदों/ट्रांजिट पासों/रवन्नाओं में अल्प अवधि अनुज्ञापत्र धारकों के नाम और कार्य के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था फिर भी निर्धारण के समय उन पर विचार किया गया/स्वीकार किया गया।	10	10,456	30.72
4	प्रस्तुत ट्रांजिट पास अन्य कार्यों से संबंधित थे।	1	168	0.47
5	ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज की मात्रा के लिये ट्रांजिट पास/रवन्ना प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये।	6	7,627	21.38
6	प्रस्तुत किये गये ट्रांजिट पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व की दिनांक के जारी किये गये थे।	9	1,452	4.11
7	उपयोग किये गये खनिज की कम मात्रा का निर्धारण किया गया था।	1	1,620	4.54
	योग	**38**	**24,912**	**72.41**

स्रोतः संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों के आधार पर संकलित सूचना।

उपरोक्त कमियों के बाद भी, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं ने इन दस्तावेजों को खनिजों के अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये, जिसके परिणामस्वरूप विभाग के खर्च पर ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला। इसके बजाय, उपभोग किये गये खनिजों को अवैध माना जाना चाहिये था तथा खनिजों की कीमत, अधिशुल्क की दस गुना राशि जो कि ₹ 72.41 लाख होती है, वसूल की जानी चाहिए थी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि नोटिस जारी किये जा रहे हैं और राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जायेगी। तथापि, खनि अभियंता आमेट के एक प्रकरण में, यह उत्तर दिया गया कि अधिशुल्क निर्धारण खनिज उपभोग विवरण में दर्शायी मात्रा के अनुसार किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा आक्षेपित की गई उपयोगित खनिज मात्रा के अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गये थे, इसलिए कोई वसूली योग्य राशि लम्बित नहीं थी। खनि अभियंता आमेट के बारे में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्यूबिक मीटर को मीट्रिक टन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण कारक को अस्थायी उपभोग विवरण में 1.4 के रूप में लिया गया था, जबकि अंतिम उपभोग विवरण में रूपांतरण कारक को 1.1 के रूप में लिया गया था। हालांकि, खनि अभियंता ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए खनिज मात्रा का अधिशुल्क निर्धारण किया। आगामी प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 4: विभाग अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के ऑनलाइन निर्धारण के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिसका उद्देश्य मैन्युअल निर्धारण से उत्पन्न होने वाले राजस्व के रिसाव को रोकना है।

सिफारिश 5: विभाग शुद्ध और त्रुटि रहित मूल्यांकन/निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये, निर्धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने पर विचार कर सकता है।

2.7.10 अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51 में ठेकेदारों के बिलों से राशि की कटौती की प्रक्रिया निर्धारित है। निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित संगठन प्रत्येक रनिंग बिल पर अधिशुल्क एवं डीएमएफटी फंड और आरएसएमईटी फंड में योगदान के लिए उत्तरदायी होंगे, जहाँ ठेकेदार रनिंग बिल से अधिशुल्क एवं डीएमएफटी फंड और आरएसएमईटी फंड में योगदान का विकल्प चुनता है।

इसके अलावा, नियम 51(9)(ii) में प्रावधान है कि ठेकेदार मात्रा के बिल या अनुसूची-जी, अनुज्ञापत्र फीस, डीएमएफटी फंड में योगदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन कर सकता है। ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करना होगा और संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

खान एवं भूविज्ञान विभाग को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए ताकि स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों, खनिज के उपभोग, अधिशुल्क की कटौती, डीएमएफटी और आरएसएमईटी फंड में योगदान, खान विभाग द्वारा ठेकेदारों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किए बिना अंतिम भुगतान आदि की नियमित जानकारी प्राप्त हो सके। तथापि, विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिनके परिणामों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7.10.1 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना निर्माण कार्यो का निष्पादन

चयनित छः निर्माण विभागों[29] द्वारा संधारित कार्य अनुबंध पंजिकाओं के विश्लेषण और इन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को 4,560 कार्य आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान उनके द्वारा 3,757 कार्य निष्पादित किये गये थे। तथापि, केवल 900 निर्माण कार्यों के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। इसलिए शेष 2,857 निर्माण कार्य राशि ₹ 368.81 करोड़ के अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना ही निष्पादित किये गये। ये कार्य

[29] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं नगर पालिका।

सड़क नवीनीकरण, पैच मरम्मत, भवनों के निर्माण आदि से संबंधित थे, जिनके निष्पादन में खनिजों के उपयोग की आवश्यकता थी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कार्यों के निष्पादन का विवरण नीचे **तालिका 2.13** में दिया गया है:

तालिका-2.13: अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कार्यो के निष्पादन का विवरण

क्रम संख्या	खनिज/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम	निर्माण विभागों की संख्या	कार्यादेशों के अनुसार निर्माण कार्य	निष्पादित कार्य	निर्माण कार्यो के लिये जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या	बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निष्पादित कार्यो की संख्या	बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निष्पादन कार्यो की राशि (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता अजमेर	2	563	490	0	490	72.04
2	खनि अभियंता आमेट	3	264	217	42	175	46.28
3	खनि अभियंता बीकानेर	2	1,107	886	161	725	58.12
4	खनि अभियंता भरतपुर	2	536	316	18	298	21.15
5	खनि अभियंता भीलवाड़ा	4	950	765	360	405	48.85
6	खनि अभियंता अलवर	3	380	374	316	58	8.41
7	खनि अभियंता बांसवाड़ा	1	343	343	0	343	24.30
8	सहायक खनि अभियंता बारां	2	417	366	3	363	89.66
	योग	**19**	**4,560**	**3,757**	**900**	**2,857**	**368.81**

स्रोतः निर्माण विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर संकलित।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि इन मुद्दों को दूर करने के लिए खान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों की वेबसाइट से जोड़ने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं (22 दिसंबर 2021)। इसके बाद निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने पिछले निर्देशों का अनुपालन कराने के लिये पुनः निर्देश जारी किये (18 नवंबर 2022)। तथापि, डीएमजीओएमएस की जांच से पता चला कि अभी तक (जनवरी 2024) ऐसा नहीं किया गया है।

वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना खनिजों के उपयोग के कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिये गये हैं:

(i) वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना खनिज का उपयोग

साधारण मिट्टी

तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवनों आदि के निर्माण में भरने या समतल करने के लिए उपयोग की जाने वाली "साधारण मिट्टी" को भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2000 को अधिसूचना के माध्यम से एक अप्रधान खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया था। चूंकि राज्य

सरकार द्वारा खनिज साधारण मिट्टी, का कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया था, इसलिए खनिज साधारण मिट्टी केवल अधिशुल्क के अग्रिम भुगतान पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र के तहत प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार, प्रत्येक ठेकेदार, जिसे निर्माण में खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग करना था, उसे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के विकल्प 51(9)(ii) के तहत अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त करना था। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 74(2)(ix) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेलवे ट्रैक के निर्माण के अलावा बोरो लैंड से साधारण मिट्टी की खुदाई और सरकारी कार्यों में सड़क या तटबंध, एनीकट, नहरों और बांधो के निर्माण में उपयोग किए जाने पर कोई किराया, अधिशुल्क या शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान खनिज साधारण मिट्टी के उपयोग संबंधित पायी गयी अनियमितताओं को निम्नलिखित अनुच्छेद में बताया गया है।

खनि अभियंता बीकानेर के अल्पावधि अनुज्ञापत्रों, जारी अदेयता प्रमाण पत्रों और परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल), बीकानेर द्वारा पारित अंतिम बिलों की संवीक्षा में पाया गया कि दो ठेकेदारों ने विकल्प 51(9)(iii) के तहत खनि अभियंता बीकानेर एवं सहायक खनि अभियंता चूरू को आवेदन किया एवं उन्हें अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये, जिससे वे निर्माण कार्यों में खनिज ग्रिट/बैलास्ट बजरी/क्रेशर डस्ट, रेत एवं पत्थर का उपयोग कर सकें। खनिज साधारण मिट्टी के लिए कोई अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया गया। हालांकि ठेकेदारों द्वारा राज्य राजमार्ग (एसएच-06) के निर्माण में खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग किया गया। कार्य पूरा होने के बाद खनि अभियंता, बीकानेर एवं सहायक खनि अभियंता चूरू द्वारा ठेकेदारों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये (जुलाई एवं नवम्बर 2020)।

दोनों निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों की संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा खनिज साधारण मिट्टी (मात्रा 11.17 लाख मीट्रिक टन) का उपयोग वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों से खनिज (साधारण मिट्टी) की कीमत राशि ₹ 4.47 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। विवरण नीचे **तालिका 2.14** में दिया गया है:

तालिका-2.14: वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना खनिज साधारण मिट्टी के उपयोग का विवरण

खनिज/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अंतिम बिल के अनुसार कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी का दस गुणा (दर ₹ प्रति टन)	खनिज की कीमत (₹ करोड़ में) {5x6}
1	2	3	4	5	6	7
खनि अभियंता बीकानेर	03/ 25.04.2018	मैसर्स केआरए - एससीसी जेवी जोधपुर	डूंगरगढ-सरदारशहर-राजगढ सड़क किमी 71/000 से 133/000 तक का विकास कार्य (एस.एच.-06)	2.50	40	1.00

खनिज/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अंतिम बिल के अनुसार कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी का दस गुणा (दर ₹ प्रति टन)	खनिज की कीमत (₹ करोड़ में) {5x6}
1	2	3	4	5	6	7
सहायक खनि अभियंता चूरू	04/ 01.05.2018	मैसर्स राजेन्द्र सिंह भाम्बू इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड जयपुर	डूंगरगढ-सरदारशहर-राजगढ सड़क किमी 133/000 से 231/000 तक का विकास कार्य (एस.एच.-06)	8.67	40	3.47
			योग	**11.17**		**4.47**

स्रोतः संबंधित निर्माण विभागों और खनि अभियंताओं द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर संकलित।

प्रकरण ध्यान (जुलाई 2021) में लाये जाने पर, खनि अभियंता बीकानेर ने प्रत्युत्तर दिया (जनवरी 2022) कि ₹ 99.82 लाख की मांग कायम की गई थी। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि संबंधित कार्यालयों को अनुपालना देने के लिये कहा गया था। तथापि, संबंधित कार्यालयों से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

नदी की रेत (बजरी) का उपयोग

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा राजमार्गों, चार या छह लेन की सड़कों, के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे ट्रैक बिछाने और मरम्मत के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3) के अनुसार आवेदन करेंगे तथा अधिशुल्क और अन्य भुगतान उप-नियम (9) के खंड (ii) के अनुसार किया जाएगा। अन्यथा, वे नियम 44 के उप-नियम (10) के अनुसार मौजूदा खनन पट्टों से अलग अधिशुल्क भुगतान वाला रवन्ना प्राप्त कर सकते हैं।

खनि अभियंता, भीलवाड़ा द्वारा जारी (जनवरी 2019) अल्पावधि अनुज्ञापत्रों और अदेयता प्रमाण पत्रों के अभिलेखों की जांच में पाया कि एक ठेकेदार ने अधिशुल्क के अग्रिम भुगतान के बाद खनि अभियंता राजसमंद-II और खनि अभियंता भीलवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग[30] (नवम्बर 2012) के कार्य में खनिज, साधारण मिट्टी एवं चुनाई पत्थर के उपयोग के लिए 85 अनुज्ञापत्र प्राप्त किये गये (अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016)। तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना खनिज बजरी (मात्रा 71,216 मीट्रिक टन) का उपयोग किया, जोकि पूरी तरह से अवैध था। इसलिये, ठेकेदार खनिजों की कीमत ₹ 2.14 करोड[31] का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी था। तथापि, खनि अभियंता भीलवाड़ा

[30] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एनएचडीपी फेज-चतुर्थ के तहत जारी डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, और हस्तांतरण (टोल) आधार पर राजस्थान राज्य में चार लेन सड़क एनएच.-758 (किमी 0.00 से किमी 87.250 तक) राजसमंद -भीलवाड़ा खण्ड के लिए कार्य आदेश जारी किया है।

[31] 71,216 मीट्रिक टन x रॉयल्टी रू 30 प्रति टन x 10 = ₹ 2,13,64,800

द्वारा जनवरी 2019 में कार्य का अधिशुल्क निर्धारण किया गया और खनिज बजरी के लिए केवल अधिशुल्क राशि ₹ 0.20 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप, राशि ₹ 1.94 करोड़ की कम वसूली हुयी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ठेकेदार को शेष राशि ₹ 1.94 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। वसूली की कार्यवाही अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

(ii) अधिशुल्क तथा डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी फंड में अंशदान की कम कटौती/कटौती का अभाव

(अ) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(iv) में प्रावधान है कि ठेकेदार रनिंग बिलों से निर्दिष्ट दरों पर अधिशुल्क कटौती के लिये आवेदन करेगा और एक स्व-प्रमाणित वचनपत्र देगा कि उपयोग में लिये गये खनिज की पूरी मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया है तथा ऐसे प्रकरण में विभाग द्वारा किसी निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।

इसलिए, निर्माण विभाग और स्थानीय निकाय प्रत्येक रनिंग बिल से निर्धारित राशि की कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे, जहां ठेकेदार उपरोक्त नियम के तहत रनिंग बिलों से रॉयल्टी/डीएमएफटी/आरएसएमईटी राशि की कटौती का विकल्प चुनता है।

डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) में प्रावधान है कि अप्रधान खनिजों के लिए भुगतान की गई अधिशुल्क राशि का 10 प्रतिशत अनुज्ञापत्र धारक द्वारा डीएमएफटी फंड के लिये भुगतान करना होगा, जो कि 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था।

इसके अलावा, आरएसएमईटी, 2020 के नियम 8(3) के अनुसार, खनन पट्टाधारक, खदान अनुज्ञप्तिधारक, और अप्रधान खनिजों के अनुज्ञापत्र धारक आवंटित/अनुमत क्षेत्र से हटाए गए और/या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में ट्रस्ट फंड में पहले पांच वर्षों के लिए रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि और उसके बाद राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 की अनुसूची II के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के एक प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करेंगे।

ठेकेदारों को 2018-19 से 2020-21 की अवधि में जारी किये गये निर्माण कार्यों की सूचना एवं सात निर्माण विभागों[32] से अधिशुल्क की कटौती और डीएमएफटी, आरएसएमईटी फंड में अंशदान की सूचना मांगी गयी थी। इन विभागों ने अधिशुल्क की कटौती, डीएमएफटी और आरएसएमईटी फंड में अंशदान का कार्य-वार विवरण प्रदान किया। सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि इन विभागों ने ₹ 1.01 करोड अधिशुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी राशि यानि अधिशुल्क राशि ₹ 76.60 लाख (172 कार्य), डीएमएफटी राशि ₹ 23.49 लाख (705 कार्य) और आरएसएमईटी राशि ₹ 0.83 लाख (137 कार्य) की या तो कटौती नहीं की

[32] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर परिषद भीलवाड़ा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा नगर पालिका।

या कम कटौती की, जैसा कि ***परिशिष्ट-3*** में दर्शाया गया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने निर्माण विभागों द्वारा अधिशुल्क राशि, डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी योगदान कटौती की निगरानी भी नहीं की।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राशि की वसूली के लिए संबंधित निर्माण विभागों को पत्र लिखा गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

(ब) पंचायत समितियों द्वारा खनिजों की खरीद

खनिज क्रय हेतु निविदा प्रपत्र की शर्त के अनुसार पंचायत समितियों को ठेकेदारों के बिलों से अधिशुल्क राशि की कटौती करनी थी। तथापि, यदि फर्म द्वारा अधिशुल्क का भुगतान किया गया है, तो बिल के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के क्षेत्र की चार पंचायत समितियों[33] में 136 ग्राम पंचायतें थीं। प्रत्येक पंचायत समिति में से पांच ग्राम पंचायतों का चयन किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के पांच कार्यों की जांच की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, नमूना जांच की गई 16 ग्राम पंचायतों के द्वारा 51 निर्माण कार्यों में राशि ₹ 43.65 लाख के खनिजों की खरीद की गई, जिनमें अधिशुल्क राशि ₹ 3.82 लाख की कटौती की जानी थी। तथापि, न तो ठेकेदारों ने अधिशुल्क भुगतान किये हुये खनिज की आपूर्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया और न ही संबंधित ग्राम पंचायतों ने अधिशुल्क की कटौती की।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि दो कार्यालयों[34] द्वारा राशि की वसूली के लिए संबंधित पंचायत समितियों को पत्र लिखे गये हैं तथा शेष कार्यालयों के संबंध में अनुपालना मांगी गयी है। अग्रिम प्रगति अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 6: विभाग अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना कार्यो के निष्पादन से बचने के लिये खान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों और पंचायती राज संस्थानों की वेबसाइट से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में तेजी लाने पर विचार कर सकता है।

2.7.11 लेखापरीक्षा मूल्यांकन

अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के प्रबंधन में कई तरह की कमियां थी। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा पंजिकाओं का संधारण नहीं करने तथा/या संधारित पंजिकाओं में वांछित सूचनाओं के अभाव के कारण खान विभाग अधिशुल्क का समय पर निर्धारण एवं वसूली की निगरानी नहीं कर सका। चार वर्ष पहले शुरू की गई ऑनलाइन प्रणाली यानी डीएमजीओएमएस का भी निगरानी और अनुपालन बढाने में न्यूनतम प्रभाव पड़ा क्योंकि

[33] आमेट 20 ग्राम पंचायत, बालेसर 38 ग्राम पंचायत, बारां 26 ग्राम पंचायत तथा बीकानेर 52 ग्राम पंचायत।

[34] सहायक खनि अभियंता बालेसर और खनि अभियंता आमेट।

अधिकांश मामलों में, क्षेत्रीय इकाइयों ने ऑनलाइन प्रक्रियाओं के केवल एक हिस्से का ही उपयोग किया। अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। तथापि, किसी भी कार्यालय ने ई-एसटीपी जारी नहीं किया। कई मामलों में आवेदनों की जांच किए बिना, खाली आवेदन पत्रों और अधूरे वचनपत्रों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे।

संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंताओं द्वारा अधिशुल्क का निर्धारण भी सावधानीपूर्वक नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिट पासों का दोहरा समायोजन हुआ, ऐसे रवन्नाओं/ट्रांजिट पासों को स्वीकार किया गया जो कार्य के पूर्ण होने के बाद जारी किये गये थे या कार्य आदेश/अल्पावधि अनुज्ञापत्र की दिनांक से पहले जारी किये गये थे और ट्रांजिट पास जो कार्य से संबंधित नहीं थे। उपरोक्त कमियों के बावजूद, संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओ ने इन दस्तावेजों को अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये। ये अदेयता प्रमाण पत्र निर्माण विभागों को ठेकेदारों द्वारा देय अधिशुल्क की कटौती किये बिना ही अंतिम भुगतान के लिए अनुमति थी। इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

खान एवं भूविज्ञान विभाग और राज्य सरकार के अन्य विभागों के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप अधिशुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी में योगदान की कम कटौती/कटौती का अभाव रहा।

समापन परिचर्चा (मई 2022) के दौरान निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने व्यवस्था में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तथापि अब तक की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया (जनवरी 2024)।

2.8 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र धारक द्वारा ईंट मिट्टी का अवैध उत्खनन

विभाग ने अनियमित रूप से ईंट मिट्टी का अनुज्ञा-पत्र जारी किया और अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुमत्य गहराई से अधिक ईंट मिट्टी की खुदाई करने से रोकने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 46,419 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी जिसका मूल्य ₹ 1.16 करोड़ था, का अवैध उत्खनन एवं उपभोग हुआ।

राज्य सरकार ने ईंट भट्टों द्वारा खनिज ईंट मिट्टी के उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित (10 जून 1994) की। जिसके अनुसार, अनुज्ञापत्र एक वर्ष की न्यूनतम अवधि और अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए जा सकते थे। अनुज्ञापत्र के आवेदन के लिए खसरा संख्या के विवरण का वर्णन करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था जहां से ईंट मिट्टी की खुदाई की जानी थी। अनुज्ञापत्र अवधि के दौरान, अनुज्ञापत्र धारक अनुमत मात्रा तक ही ईंट मिट्टी का उत्खनन और उपयोग कर सकता है।

राज्य सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में एक नया उप-नियम 63-बी जोड़ा (नवंबर 2014) जिसमें प्रावधान किया गया था कि ईंट मिट्टी, साधारण मिट्टी

और साधारण चिकनी मिट्टी के उत्खनन की अनुमति निकटवर्ती भू-तल से डेढ़ मीटर की गहराई तक होगी।

इसके बाद, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को 1 मार्च 2017 से प्रभावी बनाया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 53 (1) के अनुसार कोई ईंट मिट्टी अनुज्ञा-पत्र नहीं दिया जाएगा यदि ईंट मिट्टी की गहराई सतह से दो मीटर से अधिक है।

उपरोक्त वर्णित नियमों का उप-नियम 8(ix) निर्धारित करता है कि अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञापित क्षेत्र की सीमा के भीतर और सतह से दो मीटर की गहराई तक अपने कार्य को सीमित करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 53(2) के अनुसार एक हजार ईंटों का वजन 3.5 मीट्रिक टन था। तथापि, नियमों में संशोधन (जून 2017) द्वारा एक हजार ईंटों का भार घटाकर 2.8 मीट्रिक टन कर दिया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(5) के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति वैध अधिकार के बिना, सिवाय किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के, किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है और जहां इस प्रकार उठाये गये खनिज को पहले ही निर्गमित कर दिया गया है या उपभोग कर लिया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिज की कीमत की वसूली की जायेगी, जो कि प्रशमन शुल्क के साथ रायल्टी के दस गुना के रूप में ली जायेगी।

कार्यालय खनि अभियंता अजमेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) के दौरान यह पाया गया कि 28 जुलाई 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12,075 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए एक अनुज्ञापत्र जारी किया गया था। ग्राम नरेली, तहसील अजमेर, जिला अजमेर के 0.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले खसरा क्रमांक 1228 एवं 1229 से ईंट मिट्टी की खुदाई की जानी थी। यह भी पाया गया कि विभाग ने जुलाई 2008 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान 67,693 मीट्रिक टन खनिज ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए उसी भूमि पर और उसी आवेदक को दो बार अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया था।

इन तथ्यों की जांच से पता चला किः

- अनुज्ञा-पत्र धारक, 26 नवंबर 2014 को नियम 63-बी जोड़े जाने के बाद, अपने स्वामित्व वाली भूमि अर्थात 0.35 हेक्टेयर से सटे जमीनी स्तर से डेढ़ मीटर की गहराई तक केवल 7,350 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी[35] की खुदाई कर सकता था।
- चूंकि परमिट धारक को 67,693 मीट्रिक टन[36] खनिज ईंट मिट्टी के उत्खनन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए 26 नवंबर 2014 के बाद आगे खनिज के

[35] 3,500 मीटर x 1.5 मीटर (गहराई) x 1.4 (रूपांतरण कारक) = 7,350 मीट्रिक टन।

[36] 9,975 मीट्रिक टन परमिट संख्या 45 दिनांक 23 जुलाई 2008 (एक वर्ष) + 57,718 मीट्रिक टन परमिट संख्या 741 दिनांक 28 जुलाई 2009 (पांच वर्ष) के माध्यम से।

उत्खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। तथापि, नियमों में संशोधनों (26 नवम्बर 2014) की पालना को सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतर्क नहीं था और अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुमत मात्रा से अधिक ईंट मिट्टी का उत्खनन करने से रोकने में विफल रहा।

विभाग की असावधानी के परिणामस्वरूप 26 नवंबर 2014 से 27 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 46,419 मीट्रिक टन[37] खनिज ईंट मिट्टी राशि ₹ 1.16 करोड़[38] की कीमत का अवैध उत्खनन हुआ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि अनुज्ञा-पत्र धारक ने 2008 से 2019 की अवधि के दौरान अवैध रूप से 1.05 लाख मीट्रिक टन ईंट मिट्टी का उत्खनन किया था। शास्ति ₹ 2.08 करोड़ वसूली योग्य थी। राशि की वसूली के लिए अनुज्ञा-पत्र धारक को नोटिस जारी किया जाएगा। आगे, वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.9 फर्जी बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध राशि की वसूली के लिये उदासीन दृष्टिकोण से परिहार्य हानि राशि ₹ 2.27 करोड़

फर्जी बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति मोचन करने के एक मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बहरोड़ कार्यालय द्वारा अन्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालयों को वसूली हेतु सूचित करने में अत्यधिक देरी तथा अन्य कार्यालयों की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप संवेदक को भुगतान जारी किया जाना और बकाया की वसूली नहीं होना।

मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर (संवेदक) को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.), एनसीआर, अलवर द्वारा राशि ₹ 24.04 करोड़ का एक कार्यादेश[39] जारी किया गया था (मार्च 2016)। कार्य के प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 13 अप्रैल 2016 व 12 अक्टूबर 2017 थी। अनुबंध की शर्त संख्या 59.1 के अनुसार संवेदक द्वारा अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर निष्पादन सुरक्षा राशि उपलब्ध करवायी जानी थी, जो कि कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के जारी होने की दिनांक से 28 दिन तक मान्य होनी चाहिए थी।

संवेदक प्रारम्भ से ही कार्य की प्रगति बनाये रखने में असफल रहा, क्योंकि परियोजनावार विस्तृत कार्य योजना, डिजाईन अनुमोदन एवं सर्वेक्षण कार्य जैसी गतिविधियां देरी से हुई।

---

[37] 26 नवंबर 2014 से 25 जून 2017 (31,194 एमटी) + 26 जून 2017 से 26 नवंबर 2017 (4,025 एमटी) + 27 नवंबर 2017 से 27 जुलाई 2019 (11,200 एमटी)।

[38] 46,419 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी X ₹ 25 (रॉयल्टी दर) X 10 = ₹ 1,16,04,750

[39] बहरोड़ में ₹ 1.32 करोड़ की अनंतिम राशि सहित उच्च सेवा जलाशयों को उपलब्ध कराने, बिछाने, जोड़ने और चालू करने और पंपिंग प्रणाली तथा सहायक कार्य प्रदान करने का कार्य।

संवेदक ने अक्टूबर 2019 में कार्य बंद कर दिया और राशि ₹ 9.09 करोड़ का कार्य ही पूर्ण कर सका। अनुबन्ध की शर्तों के मौलिक उल्लंघन के कारण ज.स्वा.अ.वि. ने अनुबंध को समाप्त करने, वसूली करने और शेष कार्यों के लिए नई निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया (मई 2020)। ज.स्वा.अ.वि. ने अनुबंध के अन्तिम परिणामों का आंकलन किया (सितम्बर 2020) और संवेदक के विरुद्ध ₹ 11.98 करोड़[40] की वसूलनीय राशि की गणना की।

अनुबंध की शर्त संख्या 59 के अनुसार संवेदक ने ₹ 2.27 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की थी (मार्च 2016) जो 16 सितम्बर 2017 तक वैध थी। तथापि, संवेदक द्वारा प्रत्याभूति का विस्तार नहीं करने के कारण अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने प्रत्याभूति को इनवोक करके ₹ 2.27 करोड़ की राशि को रोके रखा (सितम्बर 2017)।

तत्पश्चात, ठेकेदार ने एसबीआई, जेवीपीडी योजना शाखा, मुंबई (एसबीआई मुंबई) द्वारा जारी (13 सितंबर 2019) ₹ 2.27 करोड़ की दूसरी बैंक प्रत्याभूति जमा कराके रोकी गई राशि जारी करने का अनुरोध किया (सितंबर 2019)। अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने ईमेल (20 सितंबर 2019) के आधार पर एसबीआई मुंबई शाखा से बैंक प्रत्याभूति की पुष्टि के बाद ₹ 2.27 करोड़ की रोकी गई राशि जारी कर दी (24 सितंबर 2019)। इसके पश्चात संवेदक ने रोकी गई सुरक्षा राशि मद-II (एसडी-II)[41] को जारी करने के लिए ₹ 0.80 करोड़ की दूसरी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की (अक्टूबर 2019)। बैंक प्रत्याभूति की पुष्टि के लिए ई-मेल द्वारा पूछे जाने पर एसबीआई, मुम्बई ने उक्त संवेदक को 13 सितम्बर 2019 को जारी कथित ₹ 2.27 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति सहित कोई भी बैंक प्रत्याभूति जारी नहीं किया जाना सूचित किया (अक्टूबर 2019)।

अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने संवेदक द्वारा फर्जी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किये जाने के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी (फ़रवरी 2020) जो कि अब तक जाँच के अधीन है। अधिशाषी अभियंता ने संवेदक को फर्जी बैंक प्रत्याभूति के बारे में सूचित किया (नवम्बर 2019) और संवेदक को ₹ 2.27 करोड़ की नयी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन संवेदक ने कोई नयी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत नहीं की।

छः माह व्यतीत होने के बाद अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने संवेदक के अन्य चालू कार्यो में से उक्त राशि की वसूली के लिए ज.स्वा.अ.वि. के अन्य कार्यालयों[42] से अनुरोध किया (अप्रैल 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खंड बूंदी में इस संवेदक का कार्य प्रगति पर था। तथापि, फर्जी बैंक प्रत्याभूति की उपरोक्त घटना और वसूली के निर्देशों की

[40] ₹ 6.82 करोड़ (शेष राशि ₹ 13.64 करोड़ का 50 प्रतिशत) + मात्रा बिल (बीओक्यू) मदों के विरुद्ध ₹ 5.16 करोड़ की वसूली।

[41] ₹ 0.80 करोड़

[42] कोटा और बूंदी के जोनल, वृत्त तथा खण्ड कार्यालय सहित।

जानकारी के बाद भी ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खंड बूंदी ने जून 2020 से अगस्त 2021[43] के मध्य उसी संवेदक को इस मद में कोई वसूली किये बिना ₹ 3.11 करोड़[44] जारी कर दिए।

ज.स्वा.अ.वि. के उदासीन रवैये के कारण संवेदक को मामले को कानूनी जटिलताओं में उलझाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ठेकेदार ने वाणिज्यिक न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें वसूली को स्थगित करने का निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2020)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया (मार्च 2021) कि नई बोलियाँ वर्तमान रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होनी चाहिए और रिट याचिका प्रक्रियाधीन थी (मई 2022)।

इस प्रकार फर्जी बैंक प्रत्याभूति की जानकारी होने के बाद भी अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने वसूली के लिए तत्काल कदम नहीं उठाये और अन्य ज.स्वा.अ.वि. कार्यालयों को छः माह व्यतीत होने के पश्चात सूचित किया। इस सूचना के बाद भी अधिशाषी अभियंता, परियोजना खंड बूंदी कार्यालय राशि को वसूल करने में असफल रहा और संवेदक को ₹ 3.11 करोड़ जारी कर दिये गये। परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि ₹ 11.98 करोड़ के विरुद्ध ज.स्वा.अ.वि. के पास केवल ₹ 1.46 करोड़ का वित्तीय धारण रह गया था।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2021) राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि फर्म ने वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर में यचिका दायर की थी, जिसमें 12 अक्टूबर 2020 को स्थगन आदेश पारित किया गया है और प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

तथ्य यह है कि फर्जी बैंक प्रत्याभूति के मामले की जानकारी होने के बावजूद वसूली करने में उदासीन रवैये के कारण और संवेदक को ₹ 3.11 करोड़ की राशि जारी करने (₹ 1.89 करोड़ न्यायालय के स्थगन आदेश के पूर्व) के कारण विभाग ₹ 2.27 करोड़ वसूल करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जाने के बाद भी परियोजना खंड बूंदी में व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु विशिष्ट सुधारात्मक कदम अभी तक नहीं लिए गये थे।

2.10 मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान राशि ₹ 17.04 करोड़

गलत सूचकांक, सूचकांकों के गिरावट की प्रवृत्ति की गैर निगरानी तथा प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 17.04 करोड़ के मूल्य भिन्नता दावों का अधिक भुगतान।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि.एवं ले.नि.) भाग प्रथम के नियम 22(xviii) के अनुसार संभागीय अधिकारी, सरकारी हितों की रक्षा करते हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, संवेदक को समय पर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राजकीय हितों की रक्षा करने के लिये संभागीय अधिकारी जिम्मेदार होगा। लो.नि.वि.एंव ले.नि.

---

[43] जून 2020 से अक्टूबर 2020 (न्यायालय के स्थगन आदेश तक)- ₹ 1.89 करोड़ तथा नवम्बर 2020 से अगस्त 2021- ₹ 1.22 करोड़।

[44] ₹ 2.41 करोड़ (चालू बिल भुगतान) + ₹ 0.70 करोड़ (एसडी-II)।

के भाग प्रथम का नियम 378 प्रावधान करता है कि ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य के एक मुश्त अनुबन्ध जिनकी निर्धारित पूर्णता अवधि 18 माह से अधिक है, में अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मूल्य भिन्नता लागू होगी। अनुबंध की शर्तों के खंड 45 में कहा गया है कि यदि अनुबंध की प्रगति के दौरान, कार्य में शामिल किसी भी सामग्री/बिटुमेन/डीजल/पेट्रोल/ सीमेंट और स्टील की कीमत निविदा खोलने की तारीख पर प्रचलित कीमत की तुलना में या बातचीत (जहां बातचीत की गई दरें स्वीकार कर ली गई हैं) के आधार पर बढ़ती या घटती है, तो कार्य लिए संवेदक को देय राशि की दरों में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.), क्षेत्र बीकानेर ने मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन, चेन्नई (संवेदक) के पक्ष में टर्नकी आधार पर एक कार्य आदेश[45] ₹ 475.90 करोड़[46] का जारी किया (अगस्त 2013) जिसमें कार्य की प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 02 सितंबर 2013 व 01 सितंबर 2016 थी। कार्य 02 जनवरी 2019 को पूरा हुआ और संवेदक को मूल्य भिन्नता के ₹ 14.34 करोड़ (दिसंबर 2020) सहित ₹ 433.05 करोड़ का भुगतान किया गया।

ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खण्ड तारानगर और खेतड़ी के दस्तावेजों की नमूना जांच में पता चला कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मूल्य भिन्नता के दावों की गणना के लिए, हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) की कीमतों पर विचार किया जाना था।

कार्य आदेश जारी होने के तुरंत बाद, एचआरसी सूचकांक 153.1 (मार्च 2014) के स्तर से लगातार गिरकर[47] 127.8 (अगस्त 2016) के स्तर पर आ गया और आधार सूचकांक (149.8) से भी नीचे गिर गया। लेकिन मूल्य भिन्नता के दावों की गणना करते समय, एचआरसी के स्थान पर स्टील रॉड्स के सूचकांकों के आधार पर विचार किया गया।

इस प्रकार, मूल्य भिन्नता की गणना के लिए गलत सूचकांकों को अपनाने और सूचकांकों की गिरावट की प्रवृत्ति की निगरानी न करने के कारण, विभाग ने मूल्य भिन्नता के विरुद्ध ₹ 17.04 करोड़ ***(परिशिष्ट-4)*** का अधिक भुगतान किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है। इसके अलावा, अनुबंध के अन्तर्गत संवेदक के विरूद्ध वित्तीय धारण केवल ₹ 0.09 करोड़ पाई गई जो कि वसूल की जाने वाली आवश्यक राशि के मुकाबले नगण्य है।

---

45 झुंझुनू तहसील से ट्रांसमिशन पाइपलाइनों की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने और चुरू बिसाऊ परियोजना और संबद्ध कार्यों की जलापूर्ति प्रणाली का जीर्णोद्धार तथा सुधार, एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजना के पैकेज -2 के अन्तर्गत दोष देयता अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव।

46 ₹ 440.07 करोड़ के पूंजीगत कार्य + ₹ 35.83 करोड़ के संचालन एवं रखरखाव के कार्य।

47 153.1 (मार्च 2014), 151.5 (जून 2014), 149.9 (सितंबर 2014), 148.2 (दिसंबर 2014), 144.8 (मार्च 2015), 138.5 (जून 2015), 131.1 (सितंबर 2015), 126 (दिसंबर 2015), 125 (मार्च 2016), 130.9 (जून 2016) और 127.8 (सितंबर 2016)।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और ज.स्वा.अ.वि. को फर्म से वसूली प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। तथ्य यह है कि मूल्य में भिन्नता की अनुमति देते समय अतिरिक्त भुगतान गलत सूचकांकों के आधार पर किया गया था, और विभाग के पास नगण्य वित्तीय धारण के कारण वसूली करना बहुत कठिन होगा।